हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 जुलाई, 1980

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार, 11 जुलाई, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)21
वैयक्तिक स्पश्टीकरणः–	
परिवहन मंत्री द्वारा	(4)31
ध्यानाकर्शण सूचनाः–	
हरियाणा तथा पंजाब राज्यों के बीच रावी ब्यास पानी की तक्सीम सम्बन्धी	(4)33
अध्यक्ष द्वारा औबजर्वे ानः–	
प्रिविलिज मो ान के बारे में उपायुक्त, सिरसा को समन करने समबन्धी	(4)34
राज्य सभा की बाई इलैक ान के लिए सरकारी म ाीनरी का अभिकथित प्रयोग	(4)34
प्र नकर्ता की प्र नकाल में अनुपस्थिति	(4)38

वाक आउट	(4)39
दि हरियाणा एप्रोप्रियए ान (नं. 4) बिल, 1980	(4)42
दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1980	(4)61
दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(4)68
दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(4)72
दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(4)77
दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(4)80

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 11 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, अब सवाल होगे।

तारांकित प्र न संख्या 1730

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 1753

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, डा. मंगल सैन, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 1738

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री गुलजार सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 1747

Mr. Speaker: Next question is by Sh. Hira Nand Arya. He is also not present.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, ये सवाल बड़े माकूल है:—

श्री अध्यक्ष: अगर आपके पास अथोरिटी है then I can permit you to ask the question on behalf of the hon. Member.

स्वामी अग्निवे ा: अथोरिटी तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगर किसी खास सवाल में आप इन्ट्रैस्टिड हैं और हाउस इजाजत देता है then I am prepared to waive the rules and allow you to ask the question. This I can do only if the House permits.

Voices: No, no.

Mr. Speaker: I am sorry, I can not permit.

Polluted water discharged by the Factories located in Industrial Complex, Dharuhera.

***1734. Ch. Partap Singh Thakran:** Will the Minister for Local Government be pleased to state:-

(a) whether it is in the knowledge of the Government that polluted water discharged by Sehgal Papers (P) Ltd., and other adjoining factories in Dharuhera Industrial Complex is causing damage to the agricultural lands and crops of Mau and Lohri villages of District Mohindergarh and Mumtazpur, Lohaka and Likra villages of Gurgaon District; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to save the agricultural land and crops of the villages referred to in part (a) from this water?

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed):

(a) Yes.

(b) The firm M/s Sehgal Papers (P) Ltd., have been asked to bring effluent within the tolerance limits for industrial effluents discharged on land for irrigation purposes or into inland surface water, i.e. river.

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह पानी कब तक रूक जाएगा ?

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, इसके लिए हमने फर्म से कहा है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका इन्तजाम करे। उन्होंने हमें अ योर किया है कि हम अपना ट्रीटमैंट प्लांट बना रहे है और जल्दी इसका इन्तजाम करेंगे। लेकिन चूंकि फार्मर्ज के खेतों में पानी आ रहा था इसलिए हमने

फर्म को कह दिया है कि आप पानी को रोकें चाहें मिल भी क्यों न बन्द करना पड़े।

श्री अध्यक्षः इस बारे में मैं भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पड़ता है। मैं वहां स्वयं गया था और इलाके का टूर किया था। मैंने सहगल पेपर मिल वालों को बुला कर बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमने 'हुड्डा' के पास आव यक रा ि ा जमा करवा दी है। अब 'हुड्डा' की रिसपांसिबिल्टी है कि वह चैनल बना कर उस पानी को साहिबी नदी में डाले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, वह तभी हो सकता है अगर मिल वाले अपना ट्रीटमैंट प्लांट बनाएं और एफुलैंट पानी को टोलरैंस लिमिट में लाएं। वे ऐसे ही साहिबी नदी के पानी को पोल्यूट नहीं कर सकते। अगर साहिबी नदी में उनका पानी इस तरह हसे ही डाला जाएगा तो साहिबी नदी के पानी को खतरा हो सकता है और जो मवे ी वहां से पानी पीते हैं उनको भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमने फर्म पर पहली कंडी ान यह लगाई है that they will have to instal a treatment plant for their effluent water.

चौधरी नारायण सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह मेरी कांस्टीच्यूएंसी में भी पढ़ता है। मेरे इलाके की 500 एकड़ जमीन बिल्कुल नाकार हो चुकी है। इस लिए या तो इसकी डायरैक ान चेंज की जाए या उस फैक्टरी को बन्दर किया जाए। वहां पर

इतनी बदबू आती है कि वहां के आदमी और प ा जिन्दा नहीं रह सकते। वहां पर मच्छर भी बहुत हो गया है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने अभी जवाब दिया है कि सहगल पेपर मिल वालों को कह दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमैंट इन्सटाल करें।

चौधरी नारायण सिंहः स्पीकर साहब, वह तो छोटा सा प्लांट है।

चौधरी खुर ीद अहमदः जब तक उनका प्लांट पूरा नहीं होगा तब तक पानी बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। It has been made clear to the firm that they will have to instal their treatment plant for their effluent water.

श्री अध्यक्षः मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां सिचुए ान काफी सीरियस है। जब मैं पिछली दफा वहां गया था तो मैंने देखा कि 5–7 गांव वाले लाठियां लेकर सहगल मिल पेपर पर पहुंच गये। इससे ला एंड आर्डर को भी खतरा है।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है हरियाणा के अन्दर प्रिवैन् ान आफ वाटर पोल्यू ान एक्ट बना है जिसके तहत सरकार को पूरा अधिकार है किसी भी फैक्टरी के खिलाफ क्लोजर तक का एक ान ले सकती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उस एक्ट के तहत किसी फैक्टरी के खिलाफ एक ान लिया गया है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः अगर उनका एफूलैंट वाटर बगैर ट्रीटमैंट के बाहर आएगा तो एक्ट हमारे पास है, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः पिछले सै ान में मुख्य मंत्री महोदय ने अ योरेंस दी थी कि 6 महीने के अन्दर अन्दर सभी फैक्ट्रियों का गन्दा पानी बाहर आने से रोक दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक फैक्टरी की ि ाकायत नहीं है। यमुना नगर में, सोनीपत में और महेन्द्रगढ़ मे भी बहुत सी फैक्ट्रियों की ऐसी ि ाकायत है। इसके लिए हमने बाकायदा एक बोर्ड बनाया हुआ है। उन्होंने कम से कम 11–12 सौ फैक्टरी वालों को नोटिस दे दिया है। उन फैक्ट्रिज वालों ने वि वास दिलाया है कि तीन महीने के अन्दर अन्दर वे अपना पूरा इन्तजाम कर लेंगे। जहां प ाुओं के नुकसान होने का खतरा है, वहां पूरा इन्तजाम कर देगे। पिछले सैं ान में मैंने हाउस में अ योरैंस दी थी कि एक साल के बाद किसी भी फैक्टरी का गन्दा पानी बाहर नहीं गिरने दिया जाएगा।

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल एक पर्टिकुलर फैक्टरी से सम्बन्धित है और इसमें हरियाणा की जनरल बात नहीं है यह कहना दुरूस्त नहीं है। मैंने यह पूछा था कि एक एक्ट बना हुआ है, क्या उस एक्ट को प्रोवोक करके किसी फैक्टरी वाले पर एक ान लिया गया है या नहीं ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी को नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने यह हलफिया बयान दिया है कि हम तीन महीने तक इन्तजाम कर देंगे। मैंने पिछले महीने फैक्टरी वालों को बुला कर आखिरी वारनिंग भी दी थी। लेकिन हमारे कानून में भी थोड़ी सी कमी है, उसमें भी हम सं ाोधन करने जा रहे हैं। अब अगर उन्होंने कोई इन्तजाम न किया तो हम दो महीने में उनके खिलाफ केस दायर कर देंगे।

चौधरी रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सै ान में भी बताया था कि कुछ सरकारी अंडरटेंकिंग्ज भी हैं जैसे हरियाणा ब्रिवरीज और कोआप्रेटिव भाूगर मिल, सोनीपत इनके पानी का भी सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया। सोनीपत मिल का पानी एक ड्रेन में जाता है। इस पानी को पहले लोग आबपा ाी के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

चौधरी भजन लाल: कोई भी फैक्टरी चाहे कोआप्रेटिव सैक्टर में है या सरकारी सैक्टर में है या जिस किसी भी फैक्टर का पानी साहिबी नदी के लिए नुकसानदेह था, उसके ऊपर हमने एक ान लिया है। किसी फैक्टरी ने तीन महीने की अंडरटेंकिग दी है किसी ने 6 महीने की दी है कि इतने समय में इन्तजाम कर देंगे। अगर कोई फैक्टरी फिर भी इन्तजाम नहीं करेगी तो उसके

खिलाफ एक ान लेंगे। कोई भी फैक्टरी हो, हम सबके खिलाफ एक ान लेंगे और जहां गन्दा पानी आता है, उसका इन्तजाम करेंगे।

श्री अध्यक्षः क्या यह प्रोवीजन नहीं की जा सकती कि फैक्टरी स्टार्ट करने से पहले एफूलैंट वाटर ठीक करने का प्लांट लगाया जाए ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि भाुरू में जब कोई फैक्टरी लगाता है तो उनको हिदायतें दी हुई होती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि इतना पानी बाहर जाता नहीं है और वही पर इधर उधर हो जाता है। जब ज्यादा पानी बहता है तो नुक्सान होने का अंदे ाा रहता है इसलिए हमने फैसला किया है कि जिसको भी हम नया लाइसैंस देंगे उसको पहले पोल्यूटिड वाटर का इंतजाम करना पड़ेगा।

श्री दीप चन्द भाटियाः स्पीकर साहब, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद कम्पलैक्स में पेपर मिल भी है और दूसरी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं और वहां पर बहुत बुरी हालत है। उस पानी से मच्छर भी पैदा हो गए हैं और वह पानी खेतों के अन्दर भी बहुत नुक्सान करता है। मै। मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जमुनानगर या दूसरी जगहों का ही ध्यान रखा जाएगा या फरीदाबाद का भी ध्यान रखा जाएगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद दोनों में ज्यादातर एक ान लिया है।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्लीमैंटरी में यह पूछा गया कि फैक्ट्री लगाने से पहले ही वाटर पोल्यू ान का इंतजाम होना चाहिए तो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि ऐसा इंतजाम है और उसको हम लागू करवाते हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ऐसा इंतजाम है और हम लागू करवाते हैं। मैनें तो यह कहा था कि अब लागू कर दिया है।

स्वामी अग्निवे ाः ठीक है अगर आपने अब लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम ने कहा कि जो हमारी सरकार की अपनी फैक्ट्रीज है, जैसे हरियाणा ब्रिवरीज के बारे में कहा और भी बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें वाटर पोल्यू ान की समस्या है तो क्या हम मुख्य मंत्री जी से यह उम्मीद करें कि उनका एफुलैंट वाटर इस तरह से बहार निकल कर प्रदुशण की समस्या न बनाएगा ? दूसरी बात यह है कि प्रदुशण की समस्या केवल जल की ही नहीं है बल्कि वायु प्रदुशण की समस्या इतनी भंयकर है कि हमारे प्रदे ा की जो बसें है वे थर्ड क्लास कंडी ान में है और वे इतना भंयकर डीजल का धुआं छोड़ती है कि पीछे चलने वाली गाड़ी के लिए बड़ा मु कल हो जाता है जब तक वह बस पास न दे दे। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वैसे तो इस

सवाल से संबंधित नहीं है लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी बसों को बंद किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा या ठीक किया जाएगा क्योंकि पोल्यू ान तो बढ़ ही रहा है ?

श्री अध्यक्षः मैं मानता हूं कि एयर पोल्यू ान का सवाल एक बड़ा महत्वूपर्ण सवाल है लेकिन इस सवाल से इसका कोई खास संबंध नहीं है। मेरा ख्याल है कि एयर पोल्यू ान के बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट एक कम्प्रीहैंसिव बिल ला रही है जहां तक मेरा ख्याल है हरियाणा में कोई एयर पोल्यू ान एक्ट नहीं है।

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, एयर पोल्यू ान के बारे में हरियाणा के अन्दर कोई एक्ट नहीं है। वह एक नै ानल क्वै चन हैं और जैसा सैट्रल गवर्नमैंट फैसला करेगी, वही लागू किया जाएगा।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि स्टेट के अन्दर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका जो पोल्यूटिड वाटर है उसको हम एक साल के अन्दर ठीक कर देंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो इंटर स्टेट पोल्यूटिड वाटर आ रहा है जैसे प्रवाणू के पोल्यूटिड वाटर ने कालका के अन्दर वाटर सप्लाई के पानी को खराब कर दिया है तो उसको कितने अर्से के अन्दर ठीक कर दैंगे क्योंकि वहां पर बीमारी फैलने का खतरा है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समय पहले ि ामला गया था। इस बारे में मैंने हिमाचल प्रदे ा के मुख्य मंत्री से बात भी की थी और उन्होंने मुझे इस बात का वि वास भी दिया है कि हम फैक्ट्रीज वालों को बुला कर कहेंगे कि वह उसका इंतजाम करें लेकिन समय के बारे मे नहीं कहा जा सकता कि यह काम कब तक हो जाएगा। यह दूसरी स्टेट का मामला है। हम उनके साथ बातचीत करके इसका जल्दी ही इंतजाम करेंगे।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, बजट सै ान के दौरान उन्होंने हाउस में अ योरेंस दिया था कि हरियाणा के अन्दर जिस फैक्ट्रीज की वहज से वाटर पोल्यू ान हो रहा है उसका एक साल के अन्दर अन्छर इंतजाम करेंगे। क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बातने की कृपा करेंगे, जो चार महीने बीत चुके हैं इन चार महीनों में कितना एक ान लिया है (ाोर एवं विघ्न) देखिए स्पीकर साहब, मैं सवाल कर रहा हूं और मुझे इंट्रप्ट किया जा रहा है क्या इनको इंटरफियर करने का हक हैं ?

Mr. Speaker: I would request the Hon. Members not to interrupt when the Leader of the Opposition is on his feet.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जो चार महीने बीत चुके हैं क्या चीफ मिनिस्टर साहब, बतायेंगे कि इन चार महीनों में कितनी फैक्ट्रीज का पोल्यू ान कंट्रोल कर लिया है ? जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम एक साल के अन्दर अन्दर तमाम फैक्ट्रीज का पोल्यू ान वाटर कंट्राल कर देंगे, क्या

ये चार महीने भी इस एक साल के अर्से में भाामिल होंगे या फिर इन्होंने एक साल की बजाए 16 महीने कर दिए हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 1100 फैक्ट्रीज को हमने नोटिस दिए हैं और टोटल नम्बर तो मुझे याद नहीं भाायद 250 या 300 के करीब केस हमने कोर्ट में भी दिए हैं और बहुत सी फैक्ट्रीज ने, किसी ने तीन महीने की, किसी ने चार महीने की और किसी ने 6 महीने की अंडरटेकिंग्ज भी दे दी हैं कि हम इतने अर्से के दौरना पोल्यूटिड वाटर को कंट्रोल कर लेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया हम यह काम एक साल के अन्दर कर देंगे।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक्ट के अन्दर कोई इंडिपैन्डैंट प्रोविजन हैं जो ये एक साल की कंडी ान आयद करने जा रहे हैं, यह प्रोविजन एक्ट में हैं या उसमें कोई अमैंडमैंट करके ऐसा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः आपका सवाल समझ में नहीं आया।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमैंटरी यह है कि इस संबंध में एक एक्ट बना हुआ है और जहां तक एक साल में यह पोल्युटिड वाटर ठीक करने की बात है, क्या उस एक्ट में एक साल में ठीक करने का कोई प्रोविजन है ?

श्री अध्यक्षः एक्ट में एक साल का जिक्र नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक्ट इस बात की इजाजत देता है कि ये एक साल की कंडी ान लगा सकते हैं या नहीं या फिर उस एक्ट के तहत ये कोई तरमीम करना चाहतें हैं ?

Mr. Speaker: It is obvious that unless specified, tgeh Act comes into force with immediate effect. लेकिन थ्यौरी अलग चीज होती है और प्रैक्टिस अलग चीज होती है। इसमें तो टाईम लगेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम फौरी करें तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी और कितनी ही लेबर बेकार हो जाएगी तथा स्टेट का कितना रेवेन्यू घट जाएगा इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही एक ान लेना पड़ता है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदूशण की समस्या को रोकने के लिए ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैल गाड़ी चलाई जाएंगी।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब अगर माननीय सदस्य बसों की बजाये ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैल गाड़ी में चलना चाहें तो यह बिल्कुल औप ाचनल है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि यह जो प्रदूशण एक्ट है यह सैंट्रल गवर्नमैंट का है। जैसा राठी साहब ने कहा है कि इसमें हम तरमीम करेंगे। स्पीकर साहब, एक्ट

में अगर तरमीम करेंगे तो इसमें लिटिगे ान होगी, उसका क्या इलाज है ? इस तरह से एक साल की बजाय दो चार साल भी लग सकते है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को सीरियसली टेक आप किया जाए ?

श्री अध्यक्षः यह वाटर पोल्यू ान एक्ट तो स्टेट का है।

चौधरी देस राजः अध्यक्ष महोदय, वैस्टर्न जमुना कैनाल केवल रैनी सीजन में चलती हैं और 8 महीने औगमैंनटे ान कैनाल में पानी चलता है। वैस्टर्न जमुना कैनाल में नहीं चलता जमुनानगर पेपर मिल और भूगर मिल का पोल्यूटिड वाटर वैस्टर्न जमुना कैनाल में जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं जिसको मवे ाी भी नहीं पी सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 8 महीनों में पानी नहीं चलता उस समय के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वैस्टर्न जमना कैनाल से संबंधित तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सोनीपत, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद से भी ज्यादा हमें जमना नगर का ध्यान है हमने उन फैक्ट्रीज को भी नोटिस दिए हुए हैं और हम आगे भी कार्यवाही कर रहे हैं।

तारांकित प्र न संख्या 1735

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी उदम सिंह दलाल, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Gandhi Bhawan at Ballabgarh

***1734. Ch. Rajinder Singh:** Will the Minister for Local Government be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that construction work of Gandhi Bhawan at Ballabgarh has been started; if so, since when it is under construction together with the timeby which it is likely to be completed; and

(b) whether it is also a fact that the roof of the said building collapsed while it was still under construction; if so, the reasons therefor togetherwith the action; if any, taken against the person found responsible for the fautly construction thereof?

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed):

(a) The Construction of Gandhi Bhawan at Ballabgarh was started in May, 1976. However, in September, 1977 a dispute arose with the contractor and as a result the construction work came to a standstill. It is not possible to indicate the likely time for the completion of the Bhawan.

(b) It is true that the roof of the said building collapsed in September, 1977 when it was still under construction. An enquiry held into the matter revealed that

this was due to negligence on the part of the contractor. Accordingly, the contractor was directed to re-lay the roof at his own cost.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के पार्ट (बी) के जवाब में मंत्री महोदय ने लिखा हैः—

"..... An enquiry held into the matter revealedt that this was due to negligence on the part of the contractor."

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्क्वायरी करने के आर्डर्ज किस आफिसर ने किये थे और किस आफिसर ने इन्क्वायरी की थी और उसका डैजिग्ने ान क्या था ? इसके साथ ही मंत्री महोदय ने आगे लिखा हैः—

"Accordingly, the contractor was directed to re-lay the roof at his own cost."

मैं जानना चाहता हूं कि कन्ट्रैक्टर को दोबारा छत डालने के लिए जो आर्डर्ज दिए थे वह मौजूदा मंत्री ने दिए थे या भूतपूर्व मंत्री ने दिए थे ?

चौधरी खुर ीद अहमदः सितम्बर, 1977 में छत गिर गई थी, उसी वक्त आर्डर्ज दिये गये थे और उसी वक्त इन्कवायरी भी हुई थी। जब कन्ट्रैक्टर को अपने खर्चे पर छत री—ले करने के आर्डर्ज दिये गये तो वह सिविल कोर्ट में चला गया और फिर उसने आर्बिट्रे ान के लिए एप्लाई किया। एस.ई. गुड़गांवा आर्बिट्रेटर के रूप में इस केस को हैंडल कर रहा है। जब उनका

फैसला आ जायेगा और उस फैसले में जो भी कसूरवार पायसा जाएगा उस पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी, चाहे कोई कौट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, डिजाइनर हो, जो भी डिफाल्टर मिलेगा, उस पर रिस्पांसिबिलिटी डाली जाएगी और किसी को भी एस्केप नहीं करने दिया जाएगा।

Mr. Speaker: When the things have not been decided कि किस की गलती है, I would like to know how can the contractor be asked to re-lay the roof?

चौधरी खुर ीद अहमद: गवर्नमैंट की तरफ से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, फरीदाबाद ने कंट्रैक्टर पर जिम्मेदारी डाल दी थी लेकिन कंट्रैक्टर इस आर्डर के अगेन्स्ट सिविल कोर्ट में गया और उसके थ्रू आर्बिट्रे ान के आर्डर्ज करवाए। अब मामला आर्बिट्रेटर के हाथ में हैं। कंट्रैक्टर अपनी लायबिलिटी से बचना चाहता है। आर्बिट्रेटर जो फैसला करेगा, उसके मुताबिक जो भी आदमी जिम्मेवार पाया जाएगा उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनेगी, वह पूरी की जायेगी।

Mr. Speaker: For the information of the House and my information, I would like to know what is this Gandhi Bhawan?

Ch. Khurshid Ahmed: Gandhi Bhawan was a building proposed to be set up by the Faridabad Complex for the benefit of the public at Ballabgah. In the Gandhi Bhawan building, there is a big hall for holding the public meetings

and there is a Library also for the use of the public of Ballabrarh Town.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने सवाल पूछा था कि इन्कवायरी करवाने के आर्डर्ज किसी मंत्री ने किये थे या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने किये थे ? अगर किसी आफिसर ने आर्डर्ज किये थे तो उस आफिसर का नाम बताया जाए, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं।

चौधरी खुर ीद अहमदः आफिसर का नाम इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर सैप्रेट नोटिस दैंगे तो बता दूंगा वरना आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, मैं आपको फाईल पढ़वा दूंगा।

Mr. Speaker: The name of the officer who ordered the enquiry does not appeat to me to be very important. If he wants to know kindly ask him to come to your office for it.

Ch. Khurshid Ahmed: I will give full information to the hon. Member whatever is available with Government, when he comes to me.

Mr. Speaker: I would request the Member to visit the office of the Minister who would satisfy him by giving the maximum information.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक गांधी भवन की छत गिरने का सवाल है, वह इसलिए गिरी क्योंकि उस समय के एक्स.इ.एन. और एस.डी.ओ. ने सारा सीमेंट बिल्डिंग पर नहीं लगाया बल्कि बाहर बेचा और उन्हें बचाने के लिए .....

Mr. Speaker: I think, for those officers, who are not present here to defend themselves, I would request the Member not to make sweeping allegations against them.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः मैंने हाउस में आफिसर का नाम नहीं लिया है (व्यवधान) स्पीकर साहब, 10 लाख की बिल्डिंग बन रही है, अगर सीमेंट को इस तरह से बाहर बेचकर पब्लिक के पैसे का मिसयूज होगा और चार चार, पांच पांच साल तक केस की इन्कवायरी नहीं होगी तो कैसे पब्लिक के पैसे को बचाया जा सकता है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः मैंने मैंम्बर साहब को बताया है कि पहले इन्कवायरी आफिसर ने कांट्रैक्टर के ऊपर रिस्पोंसिबिलिटी डाली। कंट्रैक्टर ने यह कहा कि मेरी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं है, डिजाईनर की या इंजीनियर की रिस्पोंसिबिलिटी है। उसी के बारे में आर्बिट्रे ान चल रहा है। आर्बिट्रे ान के केस के बारे में यह बात कही जाती है कि जो उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज हैं, उनमें गवर्नमैंट इन्फलुएंस नहीं कर सकती। वहां का जो निर्णय आयेगा, उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। कंट्रैक्टर ने तकरीबन वही आब्जैक ान लिया है कि डिजाईनल फाल्टी था, इस वजह से नुक्सान हुआ है। कंट्रैक्टर और आफिसर्ज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब किसके ऊपर यह बात आती है, यह आर्बिट्रेटर के सामने है। जिसके ऊपर भी जिम्मेवारी फिक्स होगी गवर्नमैंट उसके प्रति कोई लीनीयेन्सी भाो नहीं करेगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब कंट्रैक्टर केस में इन्वाल्वड हो जाता है तो अक्सर कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज लम्बी होती हैं और काफी टाईम लग जाता है। जिसके कारण काम रूक जाता है क्योंकि कंट्रैक्टर काम नहीं कर सकता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर कंट्रैक्टरि ाप नहीं चलेगी तो क्या लोकल बौडीज के महकमें में जो काम कंट्रैक्र्ज से कराया जाता है उसको सरकारी तौर पर अपने इंजीनियर्ज से करवाने का सरकार का कोई विचार है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः जरनल पालिसी के तौर पर यही सिस्टम हैं कि कंट्रैक्टर्ज से काम करवाया जाए क्योंकि गवर्नमैंट के पास और लोकल बौडीज के पास स्टाफ बहुत कम होता है तथा सारा काम अपने स्टाफ से करवाना मु ि कल है। पी. डब्ल्यू.डी. के पास डिपोजिट वर्क होता है। उसके लिए भी कई साल तक इन्तजार करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कंट्रैक्टर सिस्टम यहीं नहीं, सारे डिपार्टमैंट्स में है और आर्बिट्रे ान की जो प्रोसीडिंग्ज होती है वह अंडर दी आर्बिट्रे ान एक्ट होती है। यह एक्ट कोर्ट पर भी लागू है, आर्बिट्रेटर पर भी लागू है। जो लीगल प्रौसीडिंग्ज होती हैं, उसमें जितना टाईम लगता है my friend, being an advocate, himself knows it.

Mr. Speaker: I can only say that our friend, hon. Member from Ballabgarh, appears to be very concerned about this problem and the Minister should do everything to satisfy him.

Ch. Khurshid Ahmed: I will tell him all pros and cons and assure to give him th fullest cooperation from the Government side.

श्री मूल चन्द जैनः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आर्बिट्रेटर के पास केस कब गया और एस.ई. ने इसको एक्सपिडाइट करवने में क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी खुर ीद अहमदः एस.ई. को केस 1978 में गया और कार्यवाही वही की होगी जिसकी उसे कानूनी तौर पर इजाजत होगी।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, यह आफिसर इनका अपना आफिसर है। 1978 में उसके पास केस गया और आज 1980 चल रहा है। इतना टाईम कैसे लग गया ?

चौधरी खुर ीद अहमदः आबिट्रेटर एप्वायंट हो जाने के बाद केस को एक्सपिडाईट करवाने के लिए गवर्नमैंट अन्डर दी आर्बिट्रे ान एक्ट क्या आर्डर्ज दे सकती हैं, whether it can at all give, it is also doubtful. It may be a matter which might become subjudice. So this is to be examined if the Government can force an arbitrator to give an award within a period stipulated by the Government. If it can be done, we will certainly consider the suggestion given by my friend, Sh. Mool Chand Jain.

Mr. Speaker: Normally, is not the arbitrator, bound by the time sitpulated, by the court?

Ch. Khurshid Ahmed: No, Sir. The Arbitrator collects evidence as any other court of law colects and it is for the parties to expedite the matters. Sometimes, they can linger it on and we cannot interfere with it. So this is to be examined.

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गांधी भवन की छत गिर गई, इसी प्रकार मेरे हल्के में एक स्कूल की छत गिर गई है लेकिन उसमें कंट्रैक्टर का कान नहीं था। उस छत में कमी यह थी कि जब वह बनाई गई थी तो नम्बर 2 का सीमेंट इस्तेमाल किया गया था।

श्री अध्यक्षः इसका इनके महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीमति सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर ाीद अहमद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आर्बिट्रेटर टाईम बाउंड नहीं होता, यह गलत बयानी की गई है। जब भी कोर्ट आर्बिट्रेटर नियुक्त करता है तो उस को कहा जाता है कि उसे इस डेट तक फैसला देना है। अगर उस डेट तक फैसला नहीं देता तो आर्बिट्रेटर को टाईम ऐक्सटैंड करने के लिए दरखास्त देनी पड़ती है इसलिए यह कहना कि आर्बिट्रेटर को टाईम बाउंड नहीं किया जाता, यह गलत है और मिस लीडिंग बयान है इसको यह स्पश्ट करें।

चौधरी खुर ीद अहमदः 1978 में यह केस आर्बिट्रे ान के सामने आया। अगर कोई डेट इंडीकेट की हुई है तो वह मेरे पास इस वक्त नहीं है। चूंकि आज तक कोई अवार्ड नहीं आया, इसलिये हो सकता है कि या तो 1978 में ही कोई लम्बी डेट दी गयी हो या फिर कोई डेट दी ही नहीं गयी हो। इनका यह सूजै ान हैं कि उसको टाईम बाउन्ड किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने बाबू जी को अ योर करवाया है कि we will take every step, whatever is in our power, in that direction.

Mr. Speaker: Being ignorant about legal matters, for my information I would like to know is it a normal practice for the court to make a time stipulation in arbitration cases or not?

Ch. Khurshid Ahmed: It is totally optional on the part of the court and to give any undertaking without reading a legal order would be far from accuracy and I do not want to be inaccurate in that matter.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्क्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक महकमे के अगर कुछ अधिकारी, हमारे सदन का कोई मैम्बर या एक्स मिनिस्टर के नजदीकी रि तेदार, डिफाल्टर निकल आते है तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ एक ान लेने में कोई ढील तो नही बरतेंगे?

चौधरी खुर ीद अहमदः मै मैम्बर साहब को अ योर करना चाहता हूं कि वह अफसर चाहे किसी एक्स मिनिस्टर का या मेरा रि तेदार हो, जिम्मेदारी आने पर किसी अफसर के लिए वह रि तेदारी कोई डिफैन्स साबित नही होगी। We will take the fullest action posible against anyone who is held guilty.

Ch. Khurshid Ahmed: It is totally optional on the part of the court and to give any undertaking without reading a leagal order would be far from accuracy and I do not want to be inaccdurate in that matter.

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्क्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक महकमे के अगर कुछ अधिकारी, हमारे सदन का कोई मैम्बर या एक्स मिनिस्टर के नजदीक रि तेदार, डिफाल्अर निकल आते है तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ एक ान लेने में कोई ढील तो नही बरतेगे?

चौधरी खुर ीद अहमदः मै मैम्बर साहब को अ योर करना चाहता हूं कि वह अफसर, चाहे किसी एक्स मिनिस्टर का या मेरा रि तेदार हो, जिम्मेदारी आने पर किसी अफसर के लिए वह रि तेदारी कोई डिफैन्स साहब नही होगी। We will take the fullest action possible against anyone who is held guilty.

तारांकित प्र न संख्या 1759

Mr. Speaker: Next question. Sh. Mool Chand Mangla.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, यह मंगला साहब का सवाल है लेकिन वे इस समय हाउस में उपस्थित नही है। यह बड़ा इम्पोटैन्ट सवाल है और मेरी कास्टिचुऐसी से भी सम्बन्धित है। अगर आप इसे बिना अर्थोरिटी पूछने की इजाजत दे दें तो बड़ी कृपा होगी। (विध्न)

Mr. Speaker: Has he given you any authority to ask the question?

श्रीमती सुशमा स्वराजः जी नही। इसलिए तो इजाजत मांग रही हूं। (विध्न)

Mr. Speaker: The House is supreme. (Interruptions).

श्रीमती सुशमा स्वराजः यह बड़ा जरूरी सवाल है और मुझे केवल एक सप्लीमैटरी पूछनी है। (विघ्न)

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल जरूरी होता तो मंगला साहब स्वयं हाजिर होते। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाला): अध्यक्ष महोदय, अगर इन्हें अपने हल्के से प्यार था तो यु खुद सवाल पूछती? (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, ये सवाल की क्या बात करते है, मैने तो काल अटैन् ान नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अगर मै रूल्ज की ओवर रूल करके अपनी डिसक्रि ान इस्तेमाल करता हूं तो मेरे ऊपर ब्लैम डाला जाता है, अगर नही करता हूं तो भी ब्लैम डाला जाता है। इसलिए मैने तो अब फैसला कर लिया है। कि रूल्ज के अनुसार चलूंगा और अपनी डिसक्रि ान की मिनिमम इस्तेमाल करूंगा। सुशमा जी, अगर हाउस इजाजत दे दे तो मुझे कोई एतराज नही है।

ट्रेजरी बैचिज की ओर से आवजें: नो, नो

Mr. Speaker: I am sorry, I cannot premit you to ask the question.

Unemployed B.Ed. Teachers registered with Employment Exchange, Jhajjar

***1764. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The total number of unemployed B.Ed. teachers registered with the local Employment Exchange in sub-division Jhajjar, District Rohtak at Present;

(b) The number and names of un-employed teachers out of those mentioned in part (a) above who belong to scheduled castes;

(c) The time by which the aforesaid un-employed B.Ed. teachers are likely to be employed by the Government; and

(d) Whether the number of B.Ed teachers belonging to Scheduled Castes working in the Government Schools in district Rohtak is according to the prescribed reservation quota; if not, the reasons therefor and the time by which the shortfall is likely to be made up?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) 30—6—80 को यह संख्या 552 थी।

(ख) 12

सर्वश्री

संत राम सुपुत्र श्री उदेय राम

चांद सिंह सुपुत्र श्री चन्दगी राम

बस्ती राम सुपुत्री श्री राम चन्द

लक्ष्मी चन्द सुपुत्र श्री सूरज भान

धर्म पाल सुपुत्र श्री श्री प्रभाती राम

महेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री रती राम

कृश्ण सुपुत्र श्री तोता राम

ि ाव नारायण सुपुत्र श्री राम नाथ

नानक चंद सुपुत्र श्री चेत राम

बलवान सिंह सुपुत्र श्री छतर सिंह

राम निवास सुपुत्र श्री ि ाव लाल

जगदी ा चन्द सुपुत्र श्री श्री चन्द

(ग) इसके लिए कोई समय अवधि नि ि चत करना सम्भव नही हैं

(घ) नही, अनुसूचित जाति के मास्टरों की भर्ती में कमी के कारण निम्नलिखित है–

(1) 1970 में विभाग ने विभिन्न विशयों के मास्टर की भर्ती कें लिए अधीन सेवाएं प्रवरण मंडल, हरियाणा को मांग पत्र भेजा था इस बोर्ड की सिफारि ो 1972 में प्राप्त हुई, परन्तु आरक्षित वर्ग के प्रत्याि ायों की वांछित संख्या के बारे में सिफारि ा प्राप्त न हुई, क्योंकि प्रत्यक्षी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही थे इन हालात में विभाग के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नही था कि इन आरक्षित पदों को बोर्ड द्वारा रिकमैडीड साधारण वर्ग के प्रत्याि ायों द्वारा भरा जाए वरना विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता।

(2) 1973 में अध्यापकों की हड़ताल के दौरान काफी संख्या में अध्यापक हड़ताल पर चले गये और ि ाक्षा विभाग को बाध्य होकर काफी संख्या में खुली मार्किट से मास्टर्ज को भर्ती करना पड़ा जिसमें आरक्षण नीति का ध्यान नही रखा गया। इस

वर्ग के सभी अध्यापकों को स्टाईपैन्डरी अध्यापकों की संज्ञा दी गई। इन सभी स्टाईपैन्डरी अध्यापकों को जो हड़ताल के दौरान लगाए गए थे आरक्षण नीति में छूअ देने के प चात् 1–1–79 से नियमित कर दिया गया है।

इस बारें में समय निर्धारित करना कठिन है। कि यह कमी कब तक पूरी की जा सकेगी।

कैप्टन मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि 552 अन एम्पलायड टीचर्ज में से 12 ि ाडयूल्ड कास्टस के है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये 12 नाम कब से रजिस्टर्ड है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः 11–5–76 का है लेकिन इसने भी बी०एड० का सटिफिकेट 12–7–79 को दिया हैः पहले कागज पूरे नही किए थे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि पहले उसने जे०बी०टी० के लिए नाम रजिस्टर्ड कराया होगा और बी०एड० बाद में पास किया होगा।

कैप्टन मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, सन 76 में नाम रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी 12 के 12 व्यक्ति अभी तक अन एम्पलाएड है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन्हें कब तक नौकरी दे दी जाएगी?

चौधरी मेहर सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, सबके सब नाम सन् 76 से रजिस्टर्ड नही है। फिर भी कल मैने महकमे वालों को बुलाया था और उन्हें इंस्ट्रक ांज दे दी है। कि जब भी कही पोस्टस निकले तो इन्हें एडजस्ट कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जहां तक एजुके ान डिपार्टमैंट के बारें में मुझ ज्ञात है उसके मुताबिक तो बी०एड० वालों को अभी लगाने का सवाल ही पैदा नही होता लेकिन आप कह रहे है कि उनकों एडजस्ट कर लिया जाएगा।

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, कई बार दो–दो महीने की छुट्टी पर टीचर्ज चले जाते है। उनकी जगह पर उनकों ऐडजस्ट करने की कोि ा ा की जा सकती है। यदि कुछ और किया जा सकाता होगा तो वह बहिन भाान्ति राठी जी बता देगी। (विध्न)

श्री लहरी सिंह मेहरा: क्या मंत्री जी बताएंगे कि हरिजनों की परसैटेज को पूरा करने के लिए अब केवल हरिजनों की ही भर्ती की जाएगी?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाान्ति देवी): मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि एस०एस० मास्टर्ज की भर्ती पर बैन लगा हुआ है। जब तक वह बैन नही हटता तक तक नई भर्ती का सवाल ही पैदा नही होता।

सरदार सुख देव सिंहः स्पीकर साहब, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में टीचर्ज की सैकड़ो जगहे खाली पड़ी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन हरिजनों या किसी और जाति के अन–एमप्लायड लोगों को वहां भेज कर उस कमी को पूरा किया जाएगा?

श्रमती भाान्ति देवीः अध्यापकों की रिक्रटमैंअ एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के थ्रू होती है। यदि उनका एम्पलायामैंट एक्सचेजिज से नाम निकल जाता है तो हम ऐसा कर सकते है।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, चीफ पालियामैंटरी सैक्रेटरी साहबा ने अभी फरमाया कि एस०एस० टीचर्ज की भर्ती पर बैन लगा हुआ है। क्या वे बताएंगी कि यह बैन हरियाणा सरकार ने लगाया है या किसी और ने लगाया है?

श्रीमती भाान्ति देवीः यह बैन हरियाणा सरकार ने ही लगाया है। सन् 1973 की हड़ताल के दौरान 1800 टीचर्ज की भर्ती की गई थी। उनमें से 1300 तो एडजैस्ट हो गए है लेकिन 500 की एडजैस्टमैंट होनी अभी बाकी रहती है। जब यह एडजैस्टमैंट हो जाएगी, इस बैन को खोल दिया जाएगा।

चौधरी पीर चन्दः क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदय के नोटिस में यह बात है कि एम्पलायमैट एक्सचेंजिज के अन्दर हरिजनों को छोड़कर दूसरी जाति के लोगों के कार्ड पहले इ I कर दिया जाते है? क्या मंत्री महोदय यह भी बताएंगी कि हरिजनों

के लिए अलग से रजिस्टर मेनटेन करने का सरकार का विचार है ताकि बराबर का हक उन्हें मिल सकें?

चौधरी मेहर सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रे ान के वक्त कोई भेदभाव नही बरता जाता। जो भी नाम दर्ज कराने आता है उसका नाम दर्ज किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, इस किस्म के चार्चिच कि हरिजनों के नामों को छोड़ कर जनरल वालों के कार्ड बनाये जाते है बड़े सीरियस चार्चिज होते है। अगर कोई स्पैसिसिफिक केस इस किस्म का आपके नोअिस में आए तो वह जरूर आप हाउस के सामने लाएं। अगर आपके नोअिस में है कि फला हरिजन ने फलां को नाम रजिस्टर्ड कराया था लेकिन उसका कार्ड तो नही बना बलिक उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम दर्ज करायाथा उसका कार्ड बन गया तब तो यह संगीन मामला है वरना इस तरह से जैनरेलाइज करने से कोई बात नही बन सकती।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि ि ाडूयूल्ड कास्टस के 12 व्यक्ति बी०एड० टीचर्ज की पोस्टस के लिए रजिस्टर्ड है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्हें बी०ई०ओ० और एस०डी०इ०ओ० आफिस के थ्रू इन्टरव्यू लेकर लोंग लीव पर जाने वाले अध्यापकां की जगह किन्ही 12 स्कूलों में एडजैस्ट नही किया जा सकता?

श्रीमती भाान्ति देवी: मै माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जब पहले ही एस०एस० मास्टर्ज की नियुक्तियों पर बैन है तो उनकों केसे चान्स मिलेगा। जब बैन हट जायेगा तो उनकों चान्स मिलगा। दूसरे जहां तक एस०डी०इ०ओ० के थ्रू लगाने की बात है, अगर एम्पलाएमैंट एक्सचेंज के थ्रू उनके नाम आ जाते है तो उनको लीव बैकेन्सी के अगैन्सट अव य लगाया जायेगा।

स्वामी अग्निवे I: स्पीकर साहब, टभी मिनस्टिर महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि जिला रोहतक के झज्जर तहसील में 552 एस०एस० मास्टर्ज बेकार है। अगर सारे हरियाणा का हिसाब लगाये तो हजारों की संख्या में बैठेगे। इसलिए मै मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा में इतने ज्यादा बी०एड० बेकार है तेा फिर भी बी०एड० ट्रेनिग को चालू रखने की क्या आव यकता है?

श्री अध्यक्ष: मै बहिन भाान्ति राठी पर बिना तैयारी के ज्यादा बोझ डालने की इजाजत नही दूंगा। This has not concer with the question in hand. The question in hand relates to the Labour Minister. Moreover, it is a matter of policy of the Govt. I must thank Smt. Shanti Rathee for being so cooperative in answering the supplementaries.

चौधरी राम कि न: स्पीकर साहब, बहिन जी कह रही है कि मै पूर्ण रूप से तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः अगर बहिन जी जवाब देने के लिए तैयार है तो दे दें।

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, मै स्वामी जी को बताना चाहती हूं कि जितना बी०ए० और एम० ए० करने वालों के प्रति सरकार का दायित्व है उतना ही बी०एड० करने वालों के प्रति है। अगर हमारे पास एस० एस० मास्टर्ज की जगह खाली होगी तो हम उनकों लगा देंगे।

चौधरी गया लालः स्पीकर साहब, अभी बहिन भाान्ति राठी जी ने बताया है कि एस०एस० मास्टर्स पर बैन लगा हुआ है और उनके नोटिस में यह बात भी है कि हरिजनों की सर्विज में परसैन्टेज भी पूरी नही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बेन को हआ कर हरिजनों की बी०एड० की परसैन्टेज पूरी करने की कोि ा ा करेगी?

श्रीमती भाान्ति देवीः आनरेबल मैम्बर का सुझाव बड़ा ही सुन्दर है। यदि मंत्री मंडल इजाजत देगा तो अव य ही हरिजनों के बच्चों को सर्विस देने में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वामी आदित्यवे ाः मै माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने सन् 1970 में मांग पत्र एस०एस०एस० बोर्ड को भेजा और सन 1972 में बोर्ड से सिफारि ो प्राप्त हुई। तो मै यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों और बैक्वर्ड क्लासिज् के नाम क्यों नही भेजे?

श्री अध्यक्षः इसका सवाल से कोई सम्बन्ध नही है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः एडवरटाइजमैंट करने में, इन्टरव्यू आदि लेने में काफी टाईम लग जाता है। यह कोई बनिया की दुकान नही है। (हंसी)

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, मै आपसे भी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा और साथ ही दरखास्त भी करूंगा कि मेरे अपने हल्के सफीदों में बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हमारे सफीदों हल्के में सोनीपत के जे०बी०टी० तथा एस०एस० मास्टर्ज लगे हुए है। हमारे अपने क्षेत्र के लोग बेकार है। सोनीपत के लोग गलत ऐड्रैस दे कर वहां पर लगे हुए है और हमारे कलायत और सफीदों क्षेत्र के लोग बेकार बैठे है। जैसा कि अभी सरदार सुखदेव सिंह ने कहा कि सिरसा के अन्दर टीजर्च की बहुत पोस्ट्स खाली पड़ी हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सफीदों हल्के में जो लोग बेकार है, उनकों वहां पर लगा दिया जाये। सोनीपत में तो काफी पढ़े–लिखे लोग हैं इसलिए उनकों वहां भेजन जाना चाहिए।

श्रीमती भाान्ति देवीः ट्रेन्ड अध्यापक किसी भी जिले में या क्षेत्र में आकर सर्विस कर सकते है। सोनीपत के अगर ज्यादा ट्रेन्ड और पढ़–लिखे है तो वे कही भी जा कर नौकरी कर सकते है।

श्री अध्यक्षः सवाल तो लेबर मिनिस्टर साहब का है लेकिन इसकों आपने एजुके ान मिनिस्टर के सवाल में कन्वर्ट कर दिया है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै मिनिस्टर महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने बेरोजगार एक ब्लाक में है और किस ट्रैड के है और जो एस०एस० मास्टर्ज की संख्या में और दूसरे लाखों की संख्या में बेरोजगार है, जिनके नाम भी एप्लाएमैंअ एक्सचेंज में दर्ज है क्या उनकों बेरोजगारी का भत्ता देने पर विचार करेंगे?

चौधरी मेहर सिंह राठीः ऐसी कोई स्कीम सरकार के जेरेगौर नही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मै वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि जब हरियाणा के हजारों बी०एड० लोग बेकार फिर रहे है तो नये एडमि ान की क्या आव यकता हैं पिछले सै ान में हमारे चीफ मिनिस्अर साहब ने अ योरैन्स दी थी कि प्राइवेट कालेजों को बी०एड० क्लासिज दुबारा चालू कराने की इजाजत नही दी जायेगी। प्राईवेट कालेज वाले हजारों रूपये लेकर बी०एड० में दाखिला देते है। इसलिए मै चीफ मिनिस्अर साहब से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो इजाजत दी है तो वह क्यो दी गई?

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, अभी मै कह चुकी हूं कि जब हम किसी को बी०एड० और एम०ए० करने के लिए नही रोक सकते तो जो बी०एड० करना चाहते है तो उनकों हम कैसे रोक सकते है?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, जाट कालेज कैथल के अन्दर लाखों रूपया एक आदमी लूट रहा है। क्या सरकार उसके खिलाफ एक ान लेगी?

श्रीमती भाान्ति देवीः ऐसी कोई व्यक्तिगत ि ाकायत हो तो हमें लिखित में दे दे, हम इस बारें में जांच करवा लेगे।

चौधरी भजन लालः माननीय सदस्या पोहलू साहब ने कहा कि सकरार ने अ योरैन्स दी थी बी०एड० में दाखिले नही होगे। मैने यह कहा था कि जहां लोगों ने इस प्रकार से एडमि ान में बिजलैस बना रखे हे, अगर किसी अदायरे की ि ाकायत सरकार के नोटिस में आयेगी तो हम उनकों बी०एड० क्लासिज चालू करने की इजाजत नही देगे। हमने यह दृढ़ नि चय किया हुआ है कि अगर किसी भी अदायरे को ि ाकायत आयी तो हम ऐसी इजाजत नही देगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अध्यक्ष महोदय, कैथल के अन्दर एक बी०एड० कालेज है, उसके बारें में मैने पहले भी कई बार ि ाकायत की है और सरकार के नोटिस में लाया हूं कि उस कोलेज के अफसरान से मिल कर हर साल बी०एड० की परमि ान

मिल जाती है। अब मै मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कया उस कालेज को अगने साल परमि ान न देने के बारें में कोई कार्यवाही की जायेगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात आज ही नोअिस में लाई है। पहले इन्होने इसके बारें मे कभी नही कहा। जैसा कि अब माननीय सदस्य ने बताया है हम इसकी जांच करवा लेगे और अगर ऐसी कोई बात पाई तो हम उस कालेज को इजाजत नही देगे।

श्री अध्यक्षः वैसे तो मुझे इसके ऊपर अपने विचार प्रकअ नही करने चाहिए क्योंकि मै एक साल एजुके ान मिनिस्अर रहा हूं। लेकिन मै इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम जितने भी बी०एड० निकाल रहे है तकरीबन उन सभी बच्चो की जिन्दगी बरबाद होती जा रही है। क्यों बी०एड० करने से जैसा बहन भाान्ति राठी ने कहा, था बी०एड० और एम० ए० में कुछ थोड़ा सा अन्तर है। बी०एड० करने से इन्सान का माइन्ड बन जाता है कि तूने सिर्फ स्कूल मास्टर बनना है और कोई कामर करेन के लिए तैयार नही होता। इस समय करीब 24 हजार लड़कों के नाम एम्पलाएमैंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड है और अगले तीन सालों तक उन्हें नौकरी मिलने का कोई अन्दे ाा नही है इसलिए मै यह जरूर चाहूंगा कि गर्वनमैट को इस के ऊपर पूरी तरह से गौर करना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया था। पार्टी मीटिग के अन्दर भी इस को डिस्कस किया था ओर अपोजी ान के मैम्बरों के साथ भी बैठकर इस मामले पर विचार किया था। लेकिन इस में सबसे बड़ी दिक्कत हमें यह आ रही है कि जिन स्कूलों में स्टाफ लगा रखा है उस स्टाफ को हम कैसे कम करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लड़के यह चाहते है कि हमने तो बी०एड० करनी है, चाहे किसी प्राइवेट कालेज से ही क्यो न करनी पड़े। अगर इस बात को देखते हुए हम पाबन्दी लगा दे तो हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हमारी कोि ा ा होगी कि जहां तक इस प्रकार की ि ाकायते है उनकों देखपते हुए विचार करेंगे कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है वे बेकारन रहे उनकी जिन्दगी बरबाद न हो।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो लड़के बी०एड० करने के बाद पड़ौसी स्टेटों जैसे राजस्थान, दिल्ली या पंजाब में नौकरी करने लग जाते है। इनके प्र न के अनुसार तो हमें यहां पर बी०एड० बन्द नही करनी चाहिए।

स्वामी अदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि हमेंअ आव यकता के अनुसार ि ाड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लास के अध्यापके नही मिलते। दूसरी तरफ यहां पर इन्होने 12 बेरोजगार

अध्यापाकों की सूची दे रखी है। क्या सरकार इस अन्तर विरोध को दूर करने के लिए कोई कदम उठायेगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैया कि बहिन भाान्ति राठी ने बताया है कि कुछ अध्यापक स्ट्राइक के दौरान लगाये गए थे। अब उन अध्यापकों में से 500 बचते है, क्यों उस समय उनकों यह आ वासन दिया गया था कि जब भी कोई वैकेन्सी निकलेगी पहले आप को सर्विज दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जिन अध्यापकों ने स्ट्राईक के दौरान सरकार का साथ दिया हो तो यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि हम पहले उनकों सर्विस दे। इन बचे हुए अध्यापकों को लगाने के बाद जब भी कोई लगाने के बाद जब भी कोई जगह निकलेगी तो सबसे पहले हरिजन अध्यापकों को प्रायरिटी सर्विस दने में दी जायगी। जब तक उनका कोटा पूरा नही हो जाएगा तो उस समय तक कोई भी वैकैन्सी जनरल साईड से नही भरी जाएगी।

तारांकित प्र न संख्या 1731

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नही थे।

तारांकित प्र न संख्या 1754

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या डा० मंगल सैन सदन में उपस्थित नही थे।

तारांकित प्र न संख्या 1737

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री गुलजार सिंह, सदन में उपस्थित नही थे।

Mr. Speaker: There are not more questions. The Question hour is over.

अतारांकित प्र न उत्तर

Thef/misappropriation of tyres and spare parts in Haryana Roadways.

382. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) The Depotwise total number of cases of theft and misappropriationof tyres and spare parts that came to the notice of the Government during the period from April, 1979 to date in the workshops of Haryana Roadways, separately; and

(b) The action taken in each case of theft/misappropriation as referred to in part (a) above?

परिववहन मंत्री (श्री जगन नाथ): (क तथा ख) वाछित सूचना का ब्यौरा (अनुबन्ध क) विधान–सभा के पटन पर प्रस्तुत किया जाता है।

हरियाणा राज्य परिवहन के विभिन्न डिपुओं में 1–4–79 के प चात हुए टायरों व अतिरिक्त पुर्जो की चोरी/गन केसो की सूची।

क्रमांक	डिपों के नाम	टायरों / अतिरिक्त पुर्जो की चोरी के केसो की संख्या	टायरों / अतिरिक्त पुजों के गबन के केसों की संख्या	प्रत्येक केस में की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	1		यह केस स्थानीय पुलिस द्वारा राम को किए जाने वाले ग त के दौरान पकड़ा गया था। इस केस की जांच पुलिस द्वारा की जा रही हैं और सम्बन्धित कर्मचारी निलम्बित कर दिया गया था।
2.	गुडगांवा			
3.	चण्डीगढ़			
4.	रोहतक			
5.	करनाल1			यह केस धारा 406 आई०पी०सी० क अन्तर्गत

				पुलिस में दर्ज करवाया गया था और सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया था।
6.	हिसार			
7.	रिवाड़ी			
8.	जीन्द	1		यह चोरी का मामूली केस था (बस की लाईट का एक भी ।।) सम्बन्धित कर्मचारी निलम्बित कर दिया गया था और उेस आरोप–पत्र दिया जा चुका हैं इसके अतिरिक्त इस केस की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।
9.	भिवानी			
10.	कैथल			
11.	सिरसा	1		दिनांक 9–3–80 को प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 74 द्वारा

				यह केस धारा 381 आई०पी०सी० के अन्तर्गत पुलिस में दर्ज करा दिया गया था। चौरी किया गया समान बरामद यिा जा चुका है।
12.	यमुनानगर			
13.	सोनीपत	1		यह केस पुलिस में धारा 409/380 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया था और सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया था।
14.	राजकीय केन्द्रीय कर्म ाला चण्डीगढ़			

383. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Food and supplied be pleased to state the names and places of Tourist comlexes which are under constructionand are proposed to be constructed during the ydar 1980-81 and

1981-82 in the state togetherwith the expenditure so far incurred or proposed to tbe incurred thereon, separately?

Food and Supples Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar): The requisite informationhas been given inthe Annexure.

ANNEXURE

(Rs. in Lacs)

Name of place/compled	1980-81			1981-82	
	works/complexes under constructioj/proposed to be constructed	Expenditure incurred upto 3/80	Likely exp. to be incurred during 1980-81	Works/Cimplexs proposed to be constructed	Expenditure to be incured
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Badkal Lake	Extension of Motel Shops/toilets etc.	3.28 3.28	3.00 1.50 4.50	Extension of restaurant, camper huts, poultry faram etc.	4.00
2. Surajkund	Extension of Motel, const. of a room for golf course & improvements in fareways/Tees etc.	2.29 2.29	3.00 2.00 5.00	Extension/renovation of restaurant, swimming pool, extension of golf course, 50-room motel etc.	32.50

3. Yadvinder Gardens Pinjore.	Contruction of Motel, renovation in water channel	0.55 0.55	12.00 1.50 13.50	Completion of left over works of motel, renovations in water channel (Phase-III)	9.50
4. Uchana	Camper huts/toilets etc.		1.50	Camper huts, extention of motel, renovatio in restaurant, poultry faram etc.	8.00
5. Pipli				Camper huts, landscaping/plantation etc.	3.00
6. Panipat				Renovation of restaurant	1.00
7. Rohtak (Tilyar)	Landscaping/plantation in addl. area.		2.50	Camper huts, golf course, public toilets/shelters etc.	6.00
8. Sohna	Extension of accommodation	3.25	2.00	Extension of	3.00

	(hut No. 2)			accommodation	
9. Hodel	Construction of Motel	2.60	2.00	Camper huts, swimming pool, Tourist Information Centre etc.	7.00
10. Dharuhera	Landscaping/plant aion in addl. area.		1.00	Camper huts, shopping areade, popultary farm etc.	3.50
11. Paridabad	Extension of restaur	1.21	2.00		
12. Panchkula				Construction of restaurant.	5.00
13. Abubsheher	Staff quarters/street lighting etc.	0.88	1.00		
14. Hissar	Construction of shopping		3.00	Construction of restaurant (Phase-I)	3.00

15. Gurgaon	Extension of accommodation	0.88	1.00		
16. Sirsa	Construction of restaurant	3.84	1.50		
17. Rewari	Consturction of restaurant	0.06	4.00		
18. Asakher	Restaurant, 2-suites, toilets etc.	1.73	1.00		
19. Damdama	Snack bar, Landscaping etc	0.18	0.50	Cafeteria, camper huts toilets etc.	3.00
20. Ambala				Const. ot Motel/restaurant	5.00 (Phase-I)
21. Kaithal				Const. restaurant	5.00
22. Sultanpur Bird Sancturary	Extension of restaurant, landscaping etc.	0.48	1.50	Setting up a Bird Museum Library	2.00

23. Hathnikund/Kalesar				Restaurant/Cafe, Log Huts/tourist huts	7.00
24. Rai (near Delhi)				Const. of a 50-room motel, restaurant/bar swimming pool, club etc.	150.00
	Total	**21.23**	**48.50**		**257.50**

NOTE:- The plane for 1981-82 has not yet been finalised and proposals included therin are just tentative

384. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is fact that the Text Books for Schools are not available according to the requirement of the students in the state; if so, the resons therefor and the steps so far taken to meet the demad?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हां प्राइमरी तथा मिडल कक्षाओं की कुछेक पाठ्य पुस्तकों की कमी है। इसका कारण यह है कि पाठय पुस्तकों की छपाई के पूरे जोर वाले दिनों में छाप प्रैसों पर भी बिजली कटौती लगाई गई थी।

11–9–79 से लेकर 22–11–79 तक पाठय–पुस्तकों की छपाई के कार्य को भारी क्षति पहुंची, इस अप्रत्याि ात उलझन के कारण कुछ पुस्तकें पाईवेट प्रैसों को अलौट करने के प्रयत्न किए गए परन्तु बिजली की कटौती के कारण उन प्रैसों द्वारा केवल पांच पुस्तके स्वीकार की गई। बिजली की कटौती बहाल होने पर अब प्रैस छपाई के पिछड़े हुए कार्य की पूर्ति करने के लिए दो के स्थान पर तीन ि ाफटों में कार्य कर रहा है। प्राईमरी कक्षाओं की लगभग सभी पुस्तकें छापी जा चुकी हैं ओर बिक्री के लिए रिलीज की जा चुकी है। माध्यमिक कक्षाओं की भोश पुस्तकें भी जुलाई, 1980 के महीने में उपलब्ध करा दी जाएंगी।

Old Age Pension

385. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) The District wise names of persons alongwith their addresses who are drawing old age pension at present together with the dates since when they started getting the same; and

(b) The criteria adopted for the grant of old age pension referred to above?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): सूची विधान सभा की पटल पर रखी जाती है।

(क) राज्य में जिलावार पै ान प्राप्तकर्ताओं की संख्या निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	जिले के नाम	पै ान प्राप्तकताओं की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	2070
2.	करनाल	1191
3.	कुरूक्षेत्र	410
4.	गुड़गावां	1190
5.	फरीदाबाद	137

6.	रोहतक	1633
7.	हिसार	959
8.	सिरसा	304
9.	भिवानी	717
10.	सोनीपत	717
11.	महिन्द्रगढ़	735
12.	जींद	350
	जोड़	10080

क्योंकि स्वीकृत आवेदकों के नामों व पतों तथा तिथि जिससे पै ान स्वीकृत की गई है, के बारें में सूची बनाने में बहुत समय तथा परिश्रम लगने पर भी इससे कोई लाभ होनी की आ ाा नही हैै, इसलिए जिस भी किसी केस के बारें मं वि ोश सूचना चाहिए वह दे दी जाएगी

(ख) पै ान स्वीकृत करने के नियम एवं विधि निम्न प्रकार से है:–

(i) पुरू ा जिनकी आयु 65 वर्श या इससे अधिक तथा स्त्रियों जिनकी आयु 60 वर्श या इससे अधिक है तथा उनके पास

अपनी जीविका कमाने का कोई साधन नही है या उनकी सहायता करने वाला कोई नही है, वृद्धावस्था पै ान पाले के अधिकारी है ब ार्ते कि वे हरियाणा राज्य के मूल निवासी हों तथा वे अपने आवेदन पत्र भरने से पहले 3 वर्श से अधिक समय में हरियाणा राज्य में रह रहें हों। यदि प्रार्थी के लड़के/पौते/पति/पत्नी उनकी सहायता देने में असमर्थ है तो वे निराश्रित माने जाएंगे।

(ii) व्यवसायिक भिखारी तथा औशधाव्यापत व्यक्ति निराश्रित के अन्तर्गत नही माने जाते है परन्तु उन व्यक्तियों को जो वास्तव में भिखारी नही है तथा कभी कभी दूसरों से सहायता प्राप्त करते हे, पै ान स्वीकृत की जा सकती है यदि वे पै ान पाने के वैसे हकदार है तथा सैक ानिग अथोरिटी इस बात से संतुश्ट हो कि वे वास्तक में ही निराश्रित है।

(iii) जिन व्यक्ति के वयस्क पुत्र/पौते है तथा जिनकी मासिक आमदन निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत आती हे, इस उद्दे य के लिए निराश्रित माने जाते है।

(क) अविवाहित व्यक्ति जिनकी मासिक आय 50/– रूपये से अधिक नही है।

(ख) विवाहित व्यक्ति जिनकी कोई सन्तान नही है। तथा उनकी मासिक आय 90/– रूपये से अधिक नही है।

(ग) 25/– रूपये प्रति मास प्रति बच्चे की दर स आय में छूट है तथा प्रत्येक परिवार की मासिक आय 150/– रूपये से अधिक नहीं हो।

(घ) जिन व्यक्तियों की मासिक आय 150/– रूपये से अधिक है परन्तु उनकी अपने ऊपर आश्रित बच्चों को उच्च ि ाक्षा दिलाने की जिम्मेवारी है उनके केस में कार्यभारी मंत्री द्वारा मैरिट के आधार पर निर्णय लिए जाते है।

(iv) यदि किसी विधवा औरत का कमाने वाला भाई है तो वह भी निराश्रित मानी जाती है।

(v) सौतेले पुत्र पैं ान की स्वीकृति के उद्दे य के लिए पुत्र नही माने जाते है।

(vi) जिन व्यक्तियों की सभी साधनों से अपनी मासिक आय 15/– रूपये से अधिक नहीं है वह ही पैं ान की स्वीकृति के उद्दे य के लिए निराश्रित माने जाते हैं।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण परिवहन मंत्री द्वारा

श्रीमति सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मसला सदन के सामने उठाना है। (ाोर)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): अध्यक्ष महोदय, बहन सुशमा जी से पहले मुझे बोलने की इजाजत दे दी जाये तो मैं भी एक महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगन नाथ जी, पहले अपनी बात कह ले।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, कल कुछ अखबारों में छपा था कि मैंने यहां हाउस में कहा है कि बहन सुशमा जी को मैं हाउस से बाहर फैंक दूंगा। अध्यक्ष महोदय ऐसी बात नहीं थी। जिस समय यहा हाउस में चर्चा हो रही थी तो उस समय चेयर पर डिप्टी स्पीकर साहब थे आप अपने चैम्बर में थे। उस समय हाउस में बहुत उतेजना पैदा हो गई थी। इनकी पार्टी के सदस्य बीच बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते थे। जिस समय डिप्टी स्पीकर साहब किसी प्वायंट पर कुछ कहते थे तो उस समय ये बीच में खड़े हो जाते थे और बीच बीच में टोकते रहते थे। उसी टोका टोकी के दौरान सुशमा जी ने यह कहा कि ये लोग तो ताना ााही का रवैया पैदा कर रहे है। जब इन्होंने यह बात की तो मैंने पीछे मुड़कर इनकी तरफ इ ाारा करके कहा कि जहां ताना ााह की हकूमत होती हो और अपोजी ान वाले इतना भाोर भाराबा करते हों तो उनको बाहर फैंक दिया जाता है। मैंने यह भाब्द बहन सुशमा के लिए नहीं कहे थे बल्कि इन्होंने जो ताना ााह वाली बात कही थी मैंने उसके संबंध में कहे थे। बहन सुशमा जी की तो मैं बहुत इज्जत करता हूं। सुशमा जी तो एक

समाजवादी विचारधार की है, डैमाक्रेट हैं। ये चारों के चारों ही बड़ी अच्छी विचारधारा के हैं। इनके इलावा कुछ और भाई बैठे हैं वे तो प्रतिक्रियावादी हो सकते है। हम उनके बारे में तो कुछ कह सकते हैं लेकिन बबहन सुशमा जी के बारे में तो कुछ कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशमा जी का तो मैं बहुत आदर करता हूं। (ाोर एवं हंसी)

श्रीमति सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी प्रांत के मुख्य मंत्री सरदार दरबारा सिंह ने एक ध्यान दिया है कि यण्डीगढ़ पंजाब का अटूट अंग है और इसके साथ ही अम्बाला के कुछ कालेज जो पंजाब यूनविर्सिटी से मिला दिए गए हैं, उस पर भी आपति उठाई है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप किस विशय पर बोल रही है।

श्रीमति सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ओवर में बोल रही हूं। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला है। इसके साथ साथ सारे हरियाणा के लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है।

Mr. Speaker: You must give it to me in writing. I will not allow anything to be raised unless a notice about it is given in writing.

श्रीमति सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जीरो ओवर में तो हम बाले सकते हैं। यह एक ऐसा मसला है .....

Mr. Speaker: Please sit down. Nothing will be recorded. (Interruptions.) If you are exercised over a statement made in the Punjab Vidhan Sabha yesterday or day before, kindly give a notice to me in writing. I will consider it and at the appropriate time it will be brought before the House, if I deem it fit. You had sufficient time to give a notice.

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब, क्या जीरो ओवर में भी इस प्रकार के प्र न उठाने की इजाजत नहीं है ? (ाोर)

Mr. Speaker: I also require some time to study the matter. If anything has happened yesterday night or this morning and the members have had no time to give a notice, I can consider it. यदि किसी को मामले को रेज करने के लिए सफि ाएन्ट टाईम मिला हो और उसने मेरे को स्टडी करने के लिए लिखित में नोटिस न दिया हो तो मैं उसकी एक्सैप्ट नहीं करूंगा।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, एक काल अटैन ान मो ान मेरी भी थी।

श्री अध्यक्ष: आपकी काल अटैन ान मो ान का फैसला तो कल मैंने दे दिया है।

श्री मूल चन्द जैन: मुझे तो यह मिला है कि यह मो ान आपने एडमिट कर लिया है लेकिन मैं आपकी इजाजत से यह चाहता हूं कि ..... (ाोर)

श्री अध्यक्षः किसके बारे में आप कहना चाहते हैं ?

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, फरीदाबाद के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः उसके लिए अभी डेट फिक्स नहीं हुई है।

ध्यानाकर्शण सूचना

हरियाणा तथा पंजाब राज्यों के बीच रावी ब्यास पानी की तकसीम सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः काल अटैन ान मो ान जो आज के लिए एडमिट हुई है वह श्री राम लाल वधवा जी की तरफ से रावी ब्यास के पानी के पंजाब और हरियाणा स्टेट में डिवीजन के बारे में है। मैं इसे मन्जूर करता हूं। अब आनरेबल मैम्बर अपना नोटिस पढ़े। (ाोर)

(इस समय माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Mr. Speaker: As the hon. Member is not present, the notice lapses.

10.00 बजे

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि जिस मैम्बर साहब का काल अटैन ान मो ान एडमिट किया गया है, वह तो है नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना काल अटैन ान मो ान पढ़ दूं।

Mr. Speaker: I am not prepared for it. Jain Sahib, I have also to make some preparation. (Interruptions) आज के लिए तो मैं एडमिट कर चुका हूं। मैं एक सिटिंग के लिए एक से ज्यादा काल अटैन ान मो ान एडमिट नहीं कर सकता। (ाोर व व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, अपने तो तैयारी कुछ करनी नहीं है। आपने तो सिर्फ मुझे इजाजत ही देनी है। मैंने उसको केवल पढ़ना है।

श्री अध्यक्षः नहीं बाबू जी, मैंने गवर्नमैंट को भी तो यह कहना है कि फलाने दिन के लिए मैंने यह काल अटैन ान मो ान एडमिट किया है आप उस दिन तैयार होकर आयें।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे आज पढ़ लेने दें। कल इसका जवाब आ सकता है। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Jain Sabib, I will stick to the rules. I cannot permit it. Only one call attention motion can be permitted on one day. I have admitted Ch. Ram Lal Wadhwa's motion for today and he is not present, therefore, not more

than one call attention motion can be taken up today. (Interruptions)

स्थानीय प्र ाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): हमारे 5–6 मैम्बर्ज की तरफ से एक प्रिविलेज मो ान आपके सामने है। उस पर आपने क्या फैसला किया है ?

Mr. Speaker: Those privilege motions have been received by me and are under consideration. I will give my decision tomorrow.

अध्यक्ष द्वारा औब्जर्वे ान

प्रिविलेज मो ान के बारे में उपायुक्त, सिरसा को समन करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: श्री मूल चन्द जैन जी की तरफ से जो एक प्रिविलेज मो ान मेरे पास आया था जिसके बारे में कल हाउस में काफी चर्चा हुई थी, उसके बारे में हिन्दी का कोरैक्ट भाब्द मैं कह नहीं सकता, अगर मैं हंगामा भाब्द इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल से उचित होगा, उसके बारे में मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैंने जो फैसला लिया था कि जिसके खिलाफ ऐसा कोई प्रिविलेज मो ान आये, उसको पहले सुना जा सकता है, इसके बारे मे जो मैंने डी.सी. सिरसा को समन किया है, उसके बारे में बाई कौल

एण्ड भाकधर की प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामैंट में यह लिखा हुआ है:—

"The Speaker, before deciding whether the matter proposed to be raised as a question of privilege requires the intervention of the House and whether he should give his consent to the raising of the matter in the House, may give an opportunity to the person incriminated to explain his case to the Speaker" इसके तहत मैंने, जिसको इन्क्रीमिनेट किया गया था, उसको अपरचुनिटी दी है to explain his case to me before I take futher action.

राज्य सभा की बाई इलैक ान के लिए सरकारी म ीनरी का अभिकथित प्रयोग

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कल भााम से अपोजी ान के हमारे माननीय सदस्य एम.एल.ए. होस्टल से भी ओर आज हाउस से भी गायब हैं। उनके न होने की वजह से आज हाउस की प्रोसीडिंग्ज बड़ी खु ाअसलूबी से चल रही हैं और कल हमें होस्टल में भी चाय और खाना वगैरा वक्त पर मिल गया। क्या मैं आपके द्वारा बाबू मूल चन्द जैन जी से यह रिक्वैस्ट कर सकता हूं कि आगे के लिए कोई ऐसा इन्तजाम कर सकते हैं (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, मैं यह समझता हूं कि एम. एल.ए. साहेबान के लिए एम.एल.ए. होस्टल में रूकने की कोई पाबन्दी नहीं है। वह कहीं पर भी ठहर सकते है।

श्री मूल चन्द जैनः अगर चौधरी रिजक राम जी और रूलिंग ग्रुप के माननीय सदस्यगण इस बात की खु ाी महसूस करते हैं तो उनको यह खु ाी मुबारिक हो। मुझे इस बात क बड़ा अफसोस है कि वह कांग्रेस पार्टी जिसने हिन्दुस्तान को आजाद करवाया था और जिसने हिन्दुस्तान में सन् 1947 से लेकर कुछ अर्से को छोड़ कर अब तक हिन्दुस्तान पर हकूमत की है, वह इस दे ा में यह रिवायत कायम करना चाहती है कि उनकी पार्टी के 49 मैम्बर हो, अपोजी ान के 38 मैम्बर हो, वह दो मैम्बर्ज खड़े करें और इस बात का डंका बजायें कि हम दोनों मैम्बरों को कामयाब करेंगे जबकि उनको यह पता हो इसके लिए उन्हें 10 मैम्बर अपोजी ान के विन ओवर करने पड़ेगे। उनको विन ओवर करने के लिए सारी सरकार की म ाीनरी लगा दें और थैलियों के मुंह खोल दें (ाोर व व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में हरेक आदमी को अधिकार है कि वह खड़ा हो सकता है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर को यह गलत आदत पड़ी हुई कि वह प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो कर बोलना भाुरू कर देते है (ाोर व व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो इन्हीोने यह कहा है कि सारी सरकारी म ीनरी का दुरूपयोग हो रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है, इस को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये।

श्री मूल चन्द जैनः नही जी, यह बिल्कुल ठीक बात है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस लिये प्वायंट आफ आर्डर उठाया है कि गवर्नमैंट की म ीनरी इस्तेमाल नही की जा रही है। मै यह समझता हूं कि आपके लिये इस किस्म का चार्ज लगाना ठीक नही है, इसलिए मै आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इसकों विदड्रा कर लीजिये।

श्री मूल चन्द जैनः गवर्नमैंट म ीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I think, Babu Ji, ar pronouncing a judgement without sufficient evidence.

जेल तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): बाबू जी, अगर सरकारी म ीनरी लगी हुई होती तो क्यका आप इतने तगड़े हो कि उसमें से निकल कर आ गये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, अभी वह हालत इस दे ा के अन्दर पैदा नही हुए जिसका अन्दे ाा यह जाहिर कर रहे है। मेरी जैसी आत्मा वाले अभी बहुत से भाई इस मुल्क में है। मुझे फख्र है। कि अगर ऐसे हालात पैदा भी हो जाये तब भी इस दे ा के अन्दर लाखों आदमी ऐसे है, जो इन हालात को पैदा करने वाला कोई चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो, मुकाबला करने के लिये तैयार है। वे लोग इस दे ा में ताना ााही नही आने देगे जिस की तरफ चौधरी ि ाव राम वर्मा जी ने इ ाारा किया है। (ाोर एवं व्यवधान) तो मै यह कह रहा था कि 40 वर्श से मै पब्लिक लाईफ में हूं। सन् 1952 से लेकर अब तक कभी विधायक तो कभी एम०पी० चला आ रहा हूं। मैने कभी ऐसी बात नही देखी, कभी ऐसे हालात नही देखे कि एक तरफ 49 वाली पार्टी हो ओर दूसरी तरफ 38 हो, और 49 वाली पार्टी यह कहे कि हम दोनों की दोनों सीटें जीतेगे। यह कोई तरीका है। (ाोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): इस में बाबू जी बुराई क्या है?

श्री मूल चन्द जैनः आप ऐसी बातों को बुराई नही समझते, यही तो मुझे अफसोस है। आपकी मान–मर्यादाएं इतनी गिर गयी है, आपकी मान्याताएं, इतनी गिर गइ है कि आप ऐसी बातों को भी बुराई नही समझते।

संसदीय सचिव (श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अपोजी ान के लीडर यह कह रहे हैं कि हमने मर्यादाओं को भंग कर दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आव यकता है। वह खुद अपने पीछे मुड कर जरा देखे। क्या उनकी पार्टी का कोई सदस्य बैठा है? (ाोर एवं व्यवधान)

Transport Minister (Sh. Jagan Nath): On a point of order, Sir. (Interruptions)

Mr. Speaker: Sh. Jagan Nath Ji, please do not interrupt. The Leader of the Opposition is on his feet. (Interruptions.) Babu Ji, I would request you not to maek such serious allegation. जो फैक्टस है, वह आप स्टेट करें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: इस डैमोक्रेसी से मैने यही कहा है कि इन्होने सभी मान–मर्यादाएं भंग कर दी है। अगर नही की है तो यह साबित करें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आव यकता है, मै तो यह कहता हूं।

Mr. Speaker: Babu Ji, I would like to ask one thing. In a democratice set up, what is there to prevent one party or one person from convassing for votes for any one? Is there anything laid down to stop any party. अगर आपकी पार्टी के मैम्बर इनकी पार्टी के मैम्बरों में कन्वैसिंग करें तो Is there any

thing to stop from doing such thing? उस में मर्यादा का कौनसा सवाल आता है?

श्री मूल चन्द जैनः आपके सवाल का मन ाा तो मुझे यह लगता है और मै इस कन्कल्यूजन पर पहुंचा हूं कि आप के हिसाब से डिफैक ान में भी कोई बुराई नही है। कोई मैम्बर एकपार्टी के टिकट पर चुन कर आ जाये फिर वह चाहे कोई भी दूसरी पार्टी में चला जायें जहां तक रि वत का सवाल है, आप को पता ही है रि वत लेना जहां पर जुर्म है वहां पर रि वत देने वाल भी उतना ही कसूरवार है।

Mr. Speaker: All right, Babu Ji, I may put you another question.

Sh. Mool Chand Jain: What is that Sir?

Mr. Speaker: It is possible, I do not think, that some of these gentlemen might have tried to contact people of your party. Can you say on oath that no body from your party has not tried to contact them? (Interruptions.)

चौधरी भजन लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, अभी जेन साहब कह रहे थे कि इनकी पार्टी के 49 सदस्य है और हमारी पार्टी के 38 सदस्य है। मै जैन साहब का बताना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के केवल 21 सदस्य है। यह गल्त कह रहे है कि 38 सदस्य इनकी पार्टी के है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, विपक्ष के 38 मैम्बर है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, सारे विपक्ष से इनका क्या मतलब है। इनका जनतापार्टी से क्या मतलब है, इनका भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है, इनके तो अपने 21 मैम्बर्ज है। इनहोने कहा है कि मै पिछले चालीस साल से पब्लिक लाइफ में हूं और अपने आपकों बहुत पुराना पालियामैटेरियन बताते है। मै इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब वे असैम्बली के लिए खड़े होते है तो तो क्या सोर लोग आपकों वोट देते है और जो नही देते क्या ये उनकी वोट पैसा देकर, रि वत देकर परचेज करते है। इनका यह कहना कि एम०एल०एज० को परचेज किया जा रहा है, रि वत दी जा रही है, मै समझता हूं कि इस किस्म के * * * * * * बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नही है।

Mr. Speaker: I would also request the Chief Minister not to use such language about the Leader of the Opposition.

श्री मूल चन्द जैनः अगर मैन * * * * * इल्जाम लगाए है तो इन्होने उससे भी ज्यादा * * * * * तकरीर की है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः बेहूदा वगैरह लफ्ज एक्सपंज कर दिया जाए। I would request the Hon'ble Members to listen to the Leader of the Opposition partiently.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैने परसो भी कहां था कि कांग्रेस का खून मेरे दिल में है। (व्यवधान) मैने यह भी कहा कि मै यह भी चहात हूं कि कांग्रेस हिन्दुस्तान मे न मरे, जिन्दा रहे। इसी सिलसिलें में मै यह कहता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी सारी पाटियों से बढ़कर हैं कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि इस दे ा में डैमोक्रेसी को कायम रखे और इस पर जरा भी इरफ न आने दे जिससे कि डेमोक्रेटिक मर्यादाएं भारतवर्श में कायम रह सकें।

श्री अध्यक्षः मै तो पब्लिक लाईफ में नया ही हूं लेकिन मुझे पता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कायह सबसे बड़ा एम था कि अपोजी ान को महत्व दिया जाए and the democracy should move on both the wheels. same principles of Pandit Jawahar Lal Nehru are being following by the congress Pary.

श्री मूल चन्द जैनः जहां तक पंडित जवाहर लाल नेहरू का ताल्लुक है मेरे दिल में उनके प्रति बड़ी इज्जत है। लेकिन आज के कांग्रेस के नेता उनकी पौलिसी फालो नही करते। अगर ये उनकी पौलिसी फालों करते तो हरियाणा के अन्दर जो भारत द ान का ड्रामा भाुरू हुआा, वह नही होता। आज हमारे जो लीडर आफ दी हाउस है इन्होने ही हरियाणा में यह ड्रामा भाुरू हुआ, वह नही होता। आज हमारे जो लीडर आफ दी हाउस है इन्होने ही हरियाणा में यह ड्रामा भाुरू किया था। (ाोर) यह भारत द ान के ऐक्सपर्ट है और वह ऐक्सपर्ट हरियाणा के चीफ

मिनिस्टर हैं उनकी इस इविल भाक्ति से बचने के लिए यह सब कुछ किया गया है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है। जैन साहब बहुत बड़े पालियामैटेरियन है और यह कहते है कि हम लोगों ने पार्टी बदल ली। स्पीकर साहब, सन् 1967 में जब मै मिनिस्टर था तो इन्होने कांग्रेस छोड़कर एस०वी०डी० ज्वाइन की थी ओर वजीर बने। (व्यवधान)

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

प्र नकर्ता की प्र न काल में अनुपस्थिति

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आज ज्यादातर सवाल अपोजी ान वालों के थे लेकिन अपोजी ान के ज्यादातार मैम्बर नही आए हैं इन सवालों के प्रिन्ट करने ओर उनका जवाब डिपार्टमैट्स से मंगवाने, इकट्ठा करने और छापने में स्टेट को काफी पैसा खर्च करना पड़ता हैं काफी स्टाफ इस काम के लगाना पड़ता है। इतना पैसा खर्च करने और स्टाफ लगाने के बावजूद जब प्र न करने का समय आता है तो मैम्बर सदन में हाजिर नही होता। सदस्यों की कुछ जिम्मेदारी होती है और उसकों पूरी तरह उनको निभानी चाहिए। मै प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविश्य में जो मैम्बर प्र न

करता है और प्र न पूछने के समय बिना करण बताए गैर–हाजिर होता है तो उससे सारा खर्चा लिया जाना चाहिए। (ोर)

श्री अध्यक्षः मै समझता हूं कि यह सवाल बहुत अच्छा है। मैने पालियामैंट की प्रोसीडिग्ज का पढ़ा है। उसमें भी इस बारें में काफी चर्चा हुई है। मै लोक सभा के स्पीकर से कौन्टैक्ट करूंगा जिस प्रथा, जिस रूल या क्वैन् ान को वे कायम करते है वही रूल हम फालों करने की कोि ा ा करेंगे।

(इस समय चौधरी ि ाव राम वर्मा और श्री बलदेव तायल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः चौधरी ि ाव राम वर्मा।

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द ने मैम्बर्ज के बारें में अभी कुछ बातें कही हैं उन्होने चाहे अपनी पार्टी के मैम्बरों के बारें में या दूसरी पार्टी के मैम्बरों के बारें में वे बातें कही है, वे मान–हानि करने वाली बातें हैं अपने मैम्बरों के बारें में यह कहना कि उनको इस वजह से छिपा रखा है कि वे दूसरे को वोट न दे दे, यह उनके ऊपर भ्राुबाह करने वाली बात हैं हर आदमी को स्वतन्त्र रूप से वोट देने का अधिकार है। मै इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये उन मैम्बरों से अपने सामने वोट दिलएंगे। जिन्होने वोट देनी है उन्होने अन्दर जाकर वोट देनी है। ये उनके ऊपर भाक क्यों कर

रहे है। सारे ही लोग बहुत जिम्मेदार है। ये उनके लीडर है लेकिन इनका उनके ऊपर भाक करने का क्या अधिकार है। कि वे छोड़कर जा सकते है। ये अपने आपकों इतना कमजारे क्यों समझ रहे है।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब जीरों आवर खत्म होताहै। अब फाइनैस मिनिस्टर हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 4) बिल, 1980 इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकों कंसीडर करने का प्रस्ताव करेंगे।

वाक आउट

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, मै बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Tayal Sahib, please sit down.

Sh. Baldev Tayal: Speaker Sir, I am yet to speak. I have not spoken.

Mr. Speaker: You will not be allowed to speak as the zero hour is already over and there is no business before the Hours. I have already called upon the Hon'able finace Minister to introduce the Bill.

Sh. Baldev Tayal: You may not allow me to speak but I must bring to your kind notice. * * * *

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

Sh. Baldev Tayal: * * * *

Mr. Speaker: If you do not following the procedure of the House properly, what can I do? You should have risen at the appropriate time.

Sh. Baldev Tayal: I was also standing and called upon to speak before you has called upon Ch. Shiv Ram Verma to speak.

Mr. Speaker: I had called Ch. Shiv Ram Verma to speak. It is on record that I had called upon him to speak first. Please take your seat.

Sh. Baldev Tayal: No sir, I was called upon first.

Mr. Speaker: It is on record, which can be checked up. I had called upon Ch. Shiv Ram Verma. I have been asking you to please sit down, but you are defying the Chair.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मि तायल हाउस के आडिनरी मैम्बर नही है। वे हाउस के एक सीनियम मैम्बर है और अपोजी ान पार्टी के नेता है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: You need not point out to me who is a senior member. Please sit down.

श्रीमती सुशमा स्वराजः आपे इनकों बोलने का मौका दीजिए। आपने बाबू मूल चन्द को बोलने का समय दिया। चौधरी ि ाव राम को टाईम दिया लेकिन श्री तायल जब बोलने के लिए खड़े होते है तो उनकों आप टाईम नही देते है। मै इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हूं। (व्यवधान)

Mr. Speaker: You may adopt any means you like. Please sit dwon.

Sh. Baldev Tayal: We are not prepared to listen to this tone of the Speaker in any case.

Mr. Speaker: Please sit down, when I am on my fee. Hon'ble Members, I have no desire to speak in this tone but I have requested the House again and again that there should be proper decorum in the House. मै जितनी नरमी इस्तेमाल करता हूं, मैने देखा है कि उतना ही हाउस के अन्दर इनडिसिप्लिन, डिफाएंए आफ दी चेर और हरि किस्म का बैडलाम करने की कोि ा की जाती हैं मुझे इस तरह को टोन अख्तियार करते वक्त कोई खु ाी नही होती। आपकों पता होगा कि मै छः दिन से बीमार हूं। पांच दिन से टैम्परेचर रन कर रहा है। मुझे खु ाी नही होती कि मै इस तरह का टोन अख्तियार करूं। लेकिन तायल साहब एक ऐसे एम०एल०ए० है जिनको परिसिक्यू ान कौम्पलैक्स हैं

Smt. Sushma Sawraj: I take strong objection to this, Sir.

Mr. Speaker: you may have any objection, but please sit down.

Sh. Baldev Tayal: You cannot pas this jugement.

Mr. Speaker: I am passing this jugement. Every time you tried to point out कि मेरे को बोलने मौका नही दिया,

मेरे को बोलने का मौका नही दिया। मै ईमानदारी के साथ हाउस में स्पीकर्ज को बोलने के लिए टाईम डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और जिसकों पहले नेम करता हूं उसको पहले टाईम दिया जाता है। उसके बाबजूद भी अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मै तरफदारी कर रहा हूं तो इसकी मुझ चिन्ता नही है। मै समझता हूं कि यह इल्जाम सरासर गल्त है। अगर आपको टैक्स पेयर के मनी का भी फिक्र नही हैं तो मुझे तो जरूर फिक्र है। Zero hour is already over. Now the business of the House will be carred on and no interruptions will be tolerated. (Interrupptions)

Sh. Baldev Tayal: I must congratulate on your sence of justice.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेजरी बैचिज की तरफ से जो बात होती है, वह सही होती है और जब बलदेव तायल बोलने के लिए खड़े होते है तो यह गल्त कहते है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No interruptions will be tolerated. (Interrnptions)

Smt. Sushma Sawraj: I take strong objection to it. (Interruption.)

Mr. Speaker: Every times he tries to point that out unnecessarily. The Hon. Finance Minister may please introduce the Bill.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हम भी अपोजी ान की गरिमा को बनाये रखने के लिए यहां पर आए है। (ाोर एवं व्यवधान) ठीक है, आप हाउस की प्रोसिडिग्ज करवाते जाए, अगर हमारी बात नही सुनी जाती है तो हम वाक आउट करते है। (ाोर एव व्यवधान)

श्री मुल चन्द जैनः मै भी इस वाक वाउट में आपने आपकों भााामिल करता हूं। (ाोर)

(इस समय सर्वश्री मूल चन्द जैन, बलदेव तायल, श्रीमती सुशमा स्वराज, कामरेड भांकर लाल और स्वामी अग्निवे ा सदन से वाक आउट कर गए।

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 4) बिल, 1980

Finace Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill.

I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken intoconsideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

The Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was Carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तीन चार डिमांड्ज एप्रोप्रिऐ ान बिल के द्वारा यहां सदन के सामने रखी हं इस बिल में विधायकों के एडी ान टी०ए०, डी०ए० के लिए 1 लाख 70 हजार रूपये की डिमांउ की गई हैं अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सरकार से गुजारि ा करना चाहता हूं कि आज के युग में जो विधायक है, उनके जो कर्तव्य है, वह उनक

अपने कर्तव्यों को तब तक पूरी तरह से नही निभा सकेंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह की सहूंलियते सरकार की तरफ से न दी जाएंगी। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि जहां सरकार ने और सदन ने विधायकों को दूसरी फेसलिटीज दी है जेसे विधायक को अलाऊंस दिया जाता है, इनमें कुछ थोड़ी हल्के का अलाऊंस दिया जाता है, टेलीफोन अलाऊंस दिया जात है, इनमें कुछ थोड़ी बहुत कमी करके, हर विधायक को एक सरकारी कर्मचारी, पी०एफ० या सैक्रेटरी जो कि टाइप वगैरह का काम जनता हो, रिकार्ड मैनटेन करना जानता हो, ऐसा कोई कर्मचारी हर विधायक को सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाना चाहिये। अगर सरकार यह समझती है कि वह फैसिलिटी देने से सरकार पर काफी बोझ पड़ेगा तो विधायक को जो पहले सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जा रही है, उन सहूलियतों में थोड़ी बहुत कमी करके यह सुविधा एम०एल०एज० को अव य दी जानी चाहिये ताकि वह अपने कर्तव्य का सही मायनों में पालन कर सकें। मै ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हर एम०एल० साहब के पास बहुत सी दरखास्ते आती है, रिप्रजैनटे ान्ज आती है, बहुत से ग्रीनवेनसिज के केसिज भी उनके पास आते है और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव ड्यिूटीज भी उसे निभानी पड़ती है तो इसलिए जब तक सरकार की तरफ से उसे एक ऐसा कर्मचारी नही दिया जाएगा वह अपनी ड्यूटी को अच्छी प्रकार से नही निभा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जितने विधायक यहां पर चुनकर आते है सभी का एजुके ान स्तर एक जैसा नही होता है। कई कम पढ़े लिखे होते है और कई बहुत

ज्यादा। अध्यक्ष महोदय, आज के युग में आपकों पता है कि लालफीता ाही चाहे आप दफ्तरों मे ले लों चाहे लैजिस्लेचर में लो लो हर जगह इस तरह का वातावरण आपकों मिलेगा। इसलिए विधायक ने अगर इन सारी बातों का ध्यान राना है तो इस के लिए उन्हें सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहायता, सुविधाए प्रदान की जानी आव यक है और बगैर ऐसे कर्मचारी के जोकि टेलीफोन वगैरह अटैन्ट करना जानता हो, टाइप का काम जानता हो, रिकार्ड मैनटेन करना जानता हो, लिखेन पढ़ने का काम कर सकता हो, डायरी मेनटेन कर सकता हो, एक एम०एल०ए० अपने दायित्व का पूरा पालन नही कर सकता। इसलिये अन्त में मै फिर एक बार अपनी सरकार से गुजारि ा करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव पर अव य ही ध्यान दिया जाए और हरेक मैम्बर साहेबान को अपना कर्तव्य अच्छी प्रकार से निभाने के लिये इस प्रकार की सुविधाएं जल्दी से जल्दी देने की कृपा की जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिऐ ान बिल जो पास होने जा रहा है उस पर मै दो बाते ही कहूंगा। पहली बात तो यह है कि आनरेबल मैम्बर चौधरी भाम ेर सिंह जी ने डिमांडज पर बोलते हुए बताया था कि फर्टीलाईजर इनपुट्स पर जो 30 परसैन्ट की वृद्धि हुई है, उससे अगर आंकड़े उठा कर देखा जाए तो पता चलेगा कि आज पंजाब के अन्दर एक फसल पर 100 करोड़ रूपया किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय अगर किसाना को अपनी खेती की पैदावार

बढ़ाने के लिये इतनी बड़ी कीमत का सामना करना पड़ेगा तो उसकी आर्थिक अवस्था स्वाभाविक ही है कि उसमें कमी आएगी (इस समय सभापति की सूची में एक सदस्य, चौधरी रामकि ान, पदासीन हुए।) और उसको आर्थिक कठिनाई का समाना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यह विचार भी हुआ था और उस पर चर्चा भी हुई थी एग्रीक्लचर मार्किट एक्ट जो है, उसकी फीस जब दो परसैन्ट से 3 परसैन्ट की गई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और उसके स्ट्रक डाउन होने से हरियाणा सरकार को कोई लगभग 9 करोड़ रूपये की हानि हुई। पी०डब्ल्यू०डी० वालें के पास जो सड़कों के लिए पैसा था, वह किसानों की सुविधा के लिए इस्तेमाल होता था, अब वह सुप्रीम कोर्ट ने बन्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिग है कि जो भी पैसा माकिटिग फीस के द्वारा इक्ट्ठा किया जाता है दो या तीन परसैन्ट, वह पैसा केवल उन्ही जगहों पर खर्च किया जा सकता है जो मंडी की जुरिसडिक ान में आते है यह तो ठीक है कि इससे मंडी में किसानों की सहूलियत मिलेगी लेकिन किसानों को मंडियों में अपना अनाज लाने के लिए जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हे, उसका क्या इंतजाम होगा? जैसे सड़कों के लिये पैसा माकिटिग बोर्ड से नही लिया जा सकता जिस वजह से वे बन नही रही है और किसानों की तकलीफ होती है। इसलिए सभापति महोदय, आज की जरूरत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की लाइट में इस एक्ट में तरमीम की जाए। मै सरकार से सिफारि ा करूंगा कि इस तरफ ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह

होल्ड किया है कि मार्किट फीस को हम उस कमेटी की जुरिसडिक ानसे बाहर खर्च नही कर सकते क्योंकि वह फीस है, टैक्स नही। इसलिए सरकार को इस मामले को भीर्घाति ीघ्र टेक–अप करना चाहिए। इस डेफिनि ान को बदला जाए ताकि जो करोड़ो रूपया मार्किट फीस का इकट्ठा होता है वह किसानों की भलाई के लिये लगाया जा सके। अब आप देखे कि बाद का भाव 30–35 रूपया कट्टा बढ़ गया है और डीजल का भाव 65–70 पैसे लिटर बढ़ गया है। इससे किसानों को बड़ा भारी असर पड़ेगा। इसको रोकने के लिये और किसान को सहूलियत प्रदान करने के लिये यह जरूरी है। हरियाणा सरकार कोई ऐसा कोई फंड रेज करे, ऐसी सम्पति या ऐसा धन इक्ट्ठा करे जो करोड़ों रूपए की संख्या में हो जिससे किसानों की सबसीडाइज्ड रेट्स पर फटिलाइजर मिले। जैसे चीनी है, यह भी दो तरीके से दी जाती हैं एक तो रा ान द्वारा हमारा डिस्ट्रीव्यू ान सिस्टम है जिसमें सस्ते दामों पर चीनी मुहैया की जाती है। दूसरे बाजार का भाव हैं वहां सं 7–8 रूपये किलों के हिसाब से कितनी भी चीनी खरीदी जा सकती हैं मै चाहता हूं कि जैसे रा ान पर सस्ते भाव की चीनी मिलती है इसी प्रकार से किसानों की डीजल भी मुहैय्या किया जाए। जो किसान इस दे ा के करोड़ों लोगों को जिन्दा रहने के लिये अन्न देता है और जरूरत की चीजे प्रदान करता है उस किसान को हरियाणा सरकार सब्सीडाइज्ज रेट पर डीजल मुहैय्या करे। आप कार वाले से, टैक्सी वालें से और मोटरों वालें से कितना भी पैसा चार्ज कर ले लेकिन किसान के ट्रक्टर के लिए

और किसान को ट्यूबवैल चलाने के लिये सबसीडाइज्ड रेट्स पर डीजल मिलना चाहिए। इसके लिये अगर सरकार के पास धन का सोर्स न हो तो वह मैने पहले ही कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माक्टि्स एक्ट में सुधार लाकर पैसा इकट्ठा किया जा सकता हैं दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो 81 लाख रूपय सरकार ने लोन्ज और ढडवांसिज के लिये दिया है जैसे हाउस लोन के लिए या एच०एस०आई०डी०सी० को इंडसिट्रयल डिवैल्पमैंट के लिये दिया है लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की कैबिनेट ने फैसला किया है कि हरियाणा सरकार की जो सिक चुनिट्स है जैसे हरियाणा टैनरीज, कंकास्ट और हरियाणा मैच फैक्टरी इनकों सरकार लीज पर देना चाहती हैं सरकार की 15 दिन पहले स्टेटमैट आई थी कि इनकों सरकार बेचना चाहती है लेकिन जब पब्लिक क्रिटिसीजम हुआ.....

आवाजेः बेचने के बारें में कभी स्टेटमैंट नही आया, लीज पर देने के लिये था।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः चलों मै मान लेता हूं कि आज की पोजी ान यह है कि सरकार उन्हें लीज पर देना चाहता है। कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की हमे ाा यह नीति रही है। कित जितने भी बड़े कारखाने और जितने भी बड़े उद्योग धन्धे पब्लिक सैक्टर में लगेगे उससे राश्ट्रीयकरण और समाजवाद का सपना अधिक साकार हो सकता है। यही कारण था जब हरियाणा में काग्रेस की सरकार सत्ता में थी ये युनिट्स

पब्लिक सैक्अर के अन्दर लगाई गई थी। सभापति महोदय, मै आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इन उद्योगों को प्राइवेट लोगों को देना चाहती है, अमीर लोगों को देना चाहती है तो आप अन्दाजा लगा सकते है कि उन मुलाजिमों का क्या होगा जो इनमें काम करते है। 1200 मुलाजिम कान्कास्ट में काम करते है और 800 बाकी की तीन यूनिट्स में काम करते हैं ऐसा करने से दो हजार परिवार बेघर बार हो जाएंगे। आपने अखवारों में पढ़ा ोगा कि एक तरफ तो भारत सरकार ने ऐसा किया था कि जो सिक टैक्सटाइल मिल थे जिनकों करोड़ो रूपया घाटा हो चुका था और जो बन्द कर दिये गये थे, सरकार ने उन गरीब लोगों को राहत देने के लिए जो उनमें काम करते थे, उनके परिवारों के पालन पोशण के लिये करीब 14 टैक्सटाइल मिलों को अपने हाथ में लिया। सरकार ने यह फैसला लिया कि चाहे ये मिल घाटे में चले लेकिन सरकार इन मिलों को चलाएगी ताकि गरीब लोगों को रोजी और कपड़ा मिल सके। गरीब लोगों को रोजी और रोटी देना सरकार की जिम्मेदारी हैं कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में भी युनिट्स इसलिए लगाई थी ताकि इनसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन अब सरकार इन युनिटस को लीज पर दे रही हैं जो अमीर लोग इन युनिटस को लीज पर लेगे वे उन दो हजार गरीब लोगों को पता नही कब हटा दे। क्योंकि वे वहां पर अपने सम्बन्धियों को ही लगायेगे। किसी को जनरल मैनेजर लगाएंगे और किसी को कुछ लगाएगे। सभापति महोदय, तायल साहब जो हमारे फाइनैस मिनिस्टर है, इनका इस पालिसी को

बनाने मे ंऔर कैबिनेट डिसीजन लेने में बड़ा भारी हाथ है। गांधीवादी विचार और समाजवादी विचार वाले होते हुए भी इन्होने ऐसा फैसला करवाया है। मै इनसे निवेदन करूंगा कि वे इस फैसले पर दोबारा विचार करें और दो हजार परिवारों को उजड़ने से बजाए। जिस प्रकार से कल तायल साहब ने खुले दिन से कहा था कि हम दादरी सीमेन्ट फैक्टरी को एक महीने के अन्दर–अन्दर खोलने जा रहे है, उसकी मै ताईद करता हूं। वहां के 5–6 हजार मजदूर पिछले चार महीनों से अपनी बीवियों के गहने बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं मै तायल साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं। कि जो फैक्टरी वर्कर्ज ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि या तो 30 तारीख तक फैक्टरी खोली जाए वरना कोर्ट दूसरा फैसला लेने पर मजबूर होगी। इसलिये तायल साहब इस पर जल्द से जल्द गौर करे। इन भाब्दों के साथ मै इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौधरी रिजक राम (राई): सभापति महोदय, मै सप्लीमैटरी एस्टीमेट्स के बाद यह जो एप्रोप्रिए ान बिल आया है इस पर बोलते हुए एग्रीकल्चर के बारे में अपनी कुछ विचार रखूंगा। कल परसों कृशि मंत्री जी ने सदन में बोलते हुए बताया कि हरियाणा में जो खेती की उपज है वह बाहर के मुल्कों जैसे जापान, फ्रांस और भी काफी दे ा ऐसे है जहां पर बारानी जमीन में जो पैदावार होती है उससे आधी से ीाी कम होती हैं सभापति महेादय, आपकों खुद कृशि के मा की जानकारी है। दूसरे दे ाों

में ही नही बल्कि हमारे दे ा में भी कई सूबे ऐसे है जैसे हरियाणा और पंजाब तथा और भी कई सूबे ऐसे है जिनमें गेहूं, कपास पैडी या और भी बहुत सी जिन्से ऐसी है जिनकी पैदावार काफी है। इसमें एक विचारणीय बात है कि हमारे दे ा में कई सूबे कृशि प्रधान होने के बावजूद भी उपज क्यों कम होती है? पैदावार की बढ़ौतरी के लिए कदन क्यों नही उठाए जा रहे है? सभापति महोदय, जहां तक कृशि का ताल्लुक हैं आज जो हम कैमिक्लज और फटिलाइजर बनाते है वह हम फसलों में डालते है जिसके कारण फसल ज्यादा हो जाती हैं आज जो हमारी एग्रीकल्चर पर आधारित इंडस्ट्रीज है, हमें यह देखना है कि क्या उनका कोई साउंड बेस बन सका है? आज हम देखते है कि मौनसून के साथ जिन इलाकों में बारि ा ज्यादा हो जाती है वही पर खेती की उपज अच्छी हो जाती और जहां बारि ा कम होती है तो वहा उपज कमी पड़ जाती है। सभापति महोदय, पिछले साल 1979 में जिन इलाकों में बारि ा कम हुई वहां गेहूं, कपास, पैडी या ओर दूसरी जिन्सों की पैदावार में बहुत भारी कमी हुई और किसानों को बहुत दुर्द ाा हुई। किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहां की प्रोडक्टस किस तरह से बढ़ सकती है, कृशि की पैदावार कैसे बढद्य़ सकती हे? जब पंजाब और दूसरे प्रांत बढ़ा सकते है तो हरियाणा में क्यों नही बढ़ सकती? इस बात के ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है। सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी खुद भी किसान है और दूसरे दे ाों का भ्रमण भी

करके आए है और भारत में भी कई यूनिवसिटीज में गए है। मुझे भी कानपुर इंस्टीच्यूट में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह इंस्टीच्यूट कृशि से संबंधित है। सभापति महोदय, आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानपुर इंस्टीच्यूट में एक टमाअर आध–आध और एक–एक किलों के वजन का होता हैं उन्होने एक साल मे मिर्च की तीन फसल पैदा करने के लिए रिसर्च भी की है। ऐसे–ऐसे तजुर्बे हमारे दे ा के अन्दर हो रहे लकिन उनकों अडाप्ट नही यिाज ा रहा हैं सभापति महोदय, मेरी अर्ज कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़े इसके लिए जो ज्यादा से ज्यादा जवज्जोह दी जा सकती है वह देनी चाहिए। हर साल कही बारि ा कम होने की वजह से फसल कम होती है या कही ज्यादा बारि ा होने की वजह से फसल कम होती है या कही ज्यादा बारि ा होने की वजह से फ्लड आ जाता है जिसके कारण फसल तबाह हो जाती हैं इसलिए हमारे यहां पैदावारस्थाई नही हैं एग्रीकल्चर के बारें में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आव यकता हैं सभापति महोदय, हमें यह मान कर चलना चाहिए कि इस समय ही नही बल्कि आगे कई सालों तक हरियाणा प्रांत को अपनी खेती की पैदावार के लिए कितने पानी की आव कता हैं हमारे प्रांत में सोयल वाटर की भी बहुत कमी है और उधर एस०वाई०एल० का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ हैं उसका पता नही कब तक फैसला हो और अगर फैसला हो भी जाए तो उसको पता नही किस तरह लागू किया जा सकेगा या नही किया जा सकतेगा। पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रकार सिंह बादल ने पंजाब असैम्बली में बोलते हुए कहा कि

एस०वाई०एल० सवाल हमारे लिए मौत का सवाल है हम खून का दरिया बहा सकते है लेकिन हरियाणा को पानी नही देगे। इसलिए सभापति महोदय, महोदय, हमें यह मान कर चलना चाहिए कि कुछ समय के बाद पानी की समस्या हमारे सामने आ रही है ओर हमें सोचना है कि इस का हल कैसे होगा? हमारे प्रांत में पानी के दरिया भी नही हैं एक दरिया समुना गुजरता है उसमें से भी ताजेवाला के पास से यू०पी० वाले हमारे पानी को हड़प करने के लिए तैयार बैठे है और चार पावर हाउस बनाने के लिए अपना काम भुरू करने वाला हैं वे जमुना का पानी अपनी कैनाल में डाल कर ले जाना चाहते हैं यह बहुत भारी समस्या हमारे समाने हैं हमारे प्रान्त में पानी लिमिटड है इसकों ठीक तौर पर प्रयोग कर के पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जिन इलाकों में चने की का त खूब अच्छी तरह से हो सकती हौर दूसरी फसल इतनी अच्छी नही होती वहां पर थोड़े पानी से काम चल सकता है। क्योंकि चने की फसल के लिए इतने पानी की आव यकता नही होती। जैसे महेन्द्रगढ़, हिसार, सिरसा और भिवानी का इलाका है इन इलाकों में चने की फसल बहुत अच्छी होती है। करनाल, सोनीपत और रोहतक है, इन इलाकों में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है और चले की फसल नही होती यहां पर ज्यादा पानी देने की आव यकता है। सभापति महोदय, जब तक सरकार क्रोपिग पैटर्न अपनी स्टेट के लिए मुकरर्र नही करेगी और पानी की तकसीम भी उसके हिसाब से नही करेगी तब तक उपज नही बढ़ सकती। सभापति महोदय, खाद के बारें में आपने मैसूर इरीगे ान

कमी ान की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। मैसूर इरीगे ान कमी ान की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। मैसूर इरीगे ान कमी ान ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मैसूर एक ऐसा प्रांत है जिसने सारी स्टेट के सोयल वाटर का सर्वे करवा करके हर ब्लाक पर नक ो लगा दिए है कि फलां जमीन मे कितना पोटा ा चाहिए और फलां जमीन में कितना यूरिया चाहिए या इसके अलावा जो दूसरी खाद है उसकी कमी है। लेकिन हमारे यह कोई सर्वे नही किया गया, वही किसान खाद या दूसरी खाद है, वे किसानों को दी जाती है हमारे प्रांत में बहुत ज्यादा खाद डालने के कारण जमीन खराब हो गई है। यदि खाद न डाली जाए तो पैदावार नही हो सकती। जब तक किसानों को इस बारें मे पूरी जानकारी नही होगी कि फलां जगह मिनरल पौटा ाा की कमी है और उसके लिए फलां खाद चाहिए, तक पैदावार नही बढ़ सकती। सभापति महोदय एग्रीकल्चर का जो स्टफ है वह हर रोज बढ़ता जा रहा है एक डायरैक्टर है, ज्यावंट डायरैक्टर है और इसके अन्दर ब्लाकस में एग्रीक्लचर इंस्पैक्टर्ज है और दूसरे लाजिम है, किसी ने इस बारें में सर्वे नही किया और न ही इसके लिए कोई कदम उठाया गया हैं सभापति महोदय, मैसूर जैसी स्टेट ने अपने एक–एक गांव की जमीन का सर्वे करवा करके हर ब्लाक में नक ो लगवा दिए कि यहां फलां खाद की कमी है। सभापति महोदय, मै जींद जिले में गया था वहां पर किसानों ने मुझ बताया आप सुन कर हैरान होगे। उनहोने कहा कि हमारी जमीन में पौआस की कमी है और वही हमें फसल में डालने लिए नही दिया हैं सभापति महोदय, मै सरकार से अर्ज करना चाहता हूं

कि जिस इलाकें मे मिनरल पोटा ा की कमी है वह सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। सभापति महोद, आपने कृशि के बारें में दूसरे दे ाों का इतिहास पढ़ा होगा। अमरीका जैसे दे ा है जो इंडस्ट्रीयलिस्टस कन्ट्री है अमरीका के राश्ट्रपति रूजवैल्ट ने अपने समय में कहा कि वि व में जहां भी अनाज या दूसरी जिन्स की कमी है वहां हम गेहूं देने की कोि ा ा करेगे। उन्होने अपने आईमें में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के जरिए से इस बात के अखित्यारात अपने हाथ में लिये कि कौन सी फसल किस खेत में बीजनी हैं इसी तरह सरकार भी यहां पर उस सिस्टम को लागू कर सकती।

श्री सभापतिः आप कितना समय और लेगे?

चौधरी रिजक रामः जितना आप देगे, ले लूंगा। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, 1979–80 में सारे दे ा में चीनी की बहुतायत थी उस साल इतना गन्ना पैदा हुआ कि किसानों को 2 रूपये क्विटल बेचना पड़ा। इस का नतीजा यह हुआ कि लोगों नें अगले साल के लिये कम गन्ना बोया। इसका प्रभाव सारे दे ा पर पड़ा। आज बाजार में चीनी 8 रूपये किलों बिक रही है। गन्ने के अभाव में भूगर मिलें कुछ अर्सा के लिये बन्द करनी पड़ी। अगर किसान को भाव ठीक नहीं मिलेगा तो यह भाव को मद्देनजर रखते हूये अपनी फसल में कमोबे ा कर सकता हैं कम फसल का त करके अगर उसको ज्यादा भाव मिलता है तो वह ज्यादा फसल क्यों बोये? चेयरमैंन साहब, दूसरे दे ाो में किसान का

अहमीयत दी जाती है। वहां की सरकार किसान का एडवाइस करती है कि फलां फसल बो, आपको पूरा भाव मिलेगा। किसान इस पर अमल करता है और बाई चांस किसी कारण किसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता तो खड़ी फसल को जला दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि यहां पर सरकार की तरफ से किसान को गाइड नहीं किया जाता, उसको फसल का उचित भाव नहीं दियाजाता। सरकार मैनुफैक्चरिंग कमोडिटी के हक में हैं कारखानेदार को अखियार है कि व अपनी आर्टिकल का भाव अपने आप मुकर्रर कर सकता हे। सरकार की तरफ से कारखानों द्वारा मैनुफैक्चर्ड आर्टिकल पर भाव की केाई पाबन्दी नहीं । आप देखते है कि कपड़े के भाव रोजाना बढ़ते है। जब टैक्स लगता है तो भाव बढ़ जाते है लेकिन किससान अपनी जिन्स के भाव अपने आप मुकर्रर नहीं कर सकत, दूसरे लोग मुकर्रर करते है, किसान के हाथ में कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब,मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हहूं कि हमारे प्रान्त में 73 फीसदी किसान पांच–पांच एकड़ जमीन के मालिक है ओर किसानों की यह तादाद बढ़ती जा रही है और फ्रैगमेंटे ान आफ होल्डिंग बहुत तेजी से बढ़ती जारही है। आपको मालूम है ,1961 में जब मर्दम ुमारी हुई थी, उसकी फिगर्ज आपके पास है। आप अन्दाजा लगा सकते है कितनी फ्रैगमेंटे ान आफ होल्डिंग बढ़ी है। आज 73 परसैंट किसान पांच–पांच एकड़ जमीन के मालिक है ओर इन मे 38 परसैंट ऐसे है जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम भूमि है। इतनी कम जमीन रखने वाला किसन कैसे पैदावार कर सकताहै। इसके

अलावा इनके गुजारे का ओर कोई साधन नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान 5 एकड़ भूमि तकके मालिक है, उनको नौकरियों में तरजी दी जाये। 5 एकड़ तक के सिानों की हालत सुधारने के लिये न तो किसी स्माल फार्मर्ज डिवैल्पमेंट एजैंसी ने ओर न ही स्मला फार्मज एजैंसी ने कोई खास मदद की है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको नोकरयों में ओर दूसरे बहुत से तरक्की में मामलों में तरजीह दी जाए ताकि ये भी दूसरों के बाराबर आ सके। मैडीकल कालेज रोहतक में दाखिला लेने के लिये यूनिवर्सिटी ने देहती किसानों के लडकों के लिये 25 परसेंट रिजर्वे न की थी जो जायज थी लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको इललीगल करार दे दिया। चेयरमैंन साहाब,देहात में किसान और दूसरे लोग आर्थिक तोरपर बहुत पिछड़े हुये है। बैकवर्ड क्लासिज के लिये तो रिजर्वे ान हैं जिसका जिक बार–बार किया जाता हैं । मैं आपके द्वारा सदनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिजर्वे ान केवल बैकवर्ड क्लासिज के लिये ही नहीं होनी चाहिये। आज हमारे सामनेदेहातों में बसने वाले गरीब लोगों का सवाल है जो पावर्टी लाईन के नीचे है। कल ही ठाकुर बीर सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि 33 परसेंटलोग पावर्टी लाइन के नीचे है। मेरे ख्याल के मुताबिक यह फिगर ठीक नहीं है। अगर आप छोटे किसानों का इसमें भाामिल करें तो देखेगें कि 60 परसैंट लोग पावर्टी लाईन के नीचे है। इन सब की हालत सुधारने के लिये नौकरियों ओर दूसरे तरक्की के कामों के लिये रिजर्वे ान होनी चाहिये। वे लोग जिन के पास अढ़ाई एकड़ या पांच एकड़

जमीन है उनको आर्थिक तोर पर बैकवर्डै ट्रीट करके रिजर्वे ान करनी चाहिये ताकि वे दूसरे तबके के साथ बराबर आ सकें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): चेयरमैन साहब, मेरे आनरेबल मैंबर चौधरी रिजक रामने अमेरिका से हिन्दुस्तान तक सारी बातें हाउस में बताई। सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस सदन मैं पे ा किये गये है, मैने इनको गौर से पढ़ा ओर पाया कि कोई खास रकम खेती बाड़ी की तरक्की के लियेनहीं रखी गई है। चेयरमैन साहिब, एग्रीकल्चर के बारे मे अगर सब पहलूओं पर बोला जाए तो एक महीने तक भी बात खत्म नहीं होगी। चेयरमैन साहब,मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि यह बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। किसान के बेटे को बचाने के लिये सारा हाउस इक्टठा होकर सरकार पर जोर डालकर काम करे तब भी किसान का बेटा बच नहीं सकता। आज इसको बचाने वाला कोई नहीं है। चेयरमैन साहब, किसान दे ा की रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा में बसने वाले तमाम लोग, चाहे दूकानदार हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे मण्डी में काम करने वाले लोग हों, सारे के सारे किसान पर आश्रित हैं अगर किसान के घर में दाना नहीं है,पैदावार नहीं हुई तो किसी दुकानदार की दुकानदारी, किसी कारखानेदार की कारखानेदारी नंही चल सकती। हरियाणा में जितने लोग बसने वाले है, सब का दारोमदार किसान पर हैं। जैसे गाड़ी धुरे पर चलती है। उसी प्रकार सारा समाज किसान रूपी धुरे पर चलता है,

लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज किसान ही हालत बहुत खराब हैं आज मुझे परमात्मा याद आता है। परमात्मा सर छोटू राम जैसे इनसान को दोबारा जन्म दे ताकि किसानों को बचाया जा सके। चेयरमैंन साहब, खेती करने के लिये किसान को जो चीजें बाजार से लेनी पउती है उन पर कन्ट्रोल सैंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का पूरा कन्ट्रोल नहीं है,लेकिन स्टेट पर इसकी जिम्मेदारी आती है।मिसाल के तौरपर खाद का मामला है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने खाद के एक कट्टे पर एकदम 30 रूपये बढ़ा दिए। एक कट्टे पर 30 रूपये बढाना न तो किसान के हित की बात है और न दे ा के हित की बात है। (व्यवधान) यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है लेकिन जिम्मेदारी स्टेट पर भी आती है। खाद के कट्टे की कीमत बढाने के बजाये इनको अपने खर्चे घटाने चाहिये ओर खर्चे घटने से कीमत घटनी चाहिये। न कि बढ़नी चाहिये। चेयरमैन साहब, जो खाद हरियाणा में पहले से पडा है, चाहे वहकिसी भी भाक्ल में क्यों न हो,चाहे प्राईवेट डीलर के पास हो,चाहे किसी सोसायटी केपास हो,याहे सरकारके पास हो, उसपर कीमत नहीं बढ़नी चखहिये, जो प्राईस पहले थी, उसी पर किसानों को दिया जाना चाहिये।यह कीमत बढ़नेसे डीलर्ज को बिना कुछ किये लाखों रूपयेका फायदा हो गया लेकिन गरीब किसान मारा गया, उसके बच्चें नंगें फिरते है, उनके पावों मेंजूते नही है। चेयरमैन साहब,आप भी किसान के बेटे हो इसलियें मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जितनी भी खाद आज हरियाणा में

पड़ी हुई है वह पहली कीमत पर किसानों को दिलाई जाये अगर वास्तव में ये किसान की मदद करना चाहते है।

दूसरी बात चेयरमैन साहब मैं यह कहनाचाहता हूं कि डीजल दो किस्म काहोता है। एक हाई स्पीड डीजल ओर दूसरी लो स्पीड डीजल,जिसे काला तेल भी कहते है। यह आज बहुत थोड़ी मात्रा में लोगों को मिलता है।बड़े फख्र की बात है कि आज सेंटर में हरियाणा के ही एक सपूत चौधरी दलबीर सिंह जी के पास यह महकमा है। उनसे प्रार्थना की जाये कि हरियाणा का डीजल का कोटाबढ़ाया जाये। अफसोस की बात है कि दिल्ली काकोटा तो 25 परसैंट बढ़ा दिया गया लेकिन हरियाणा का कोटा नहीं बढ़ाया गया। भला बतायें कि क्या दिल्ली में धान बोया जाता है या जीरी बोई जाती है जिसके लिये उन्हे डीजल ज्यादा चाहिये? (हंसी)

चेयरमैन साहब, मैआपके द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात भी लाना चाहताहूं कि मिट्टी के तेल में मोबिल आयल मिला कर डीजल के रूप में किसानों को बेचा जाता है। इस बात को चैक किया जाना चाहिये।मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें लोगो के पास जाना है ंआज किसान बहुत दुखी है। इन हालात में हमारा यह फज्र बन जाता है कि लोगों को मिट्टी का तेल,हाई स्पीड डीजल ओर लो स्पीड डीजलन आदि चलजें ठीक रेट पर मुहैया की जाये। येचीजें लोगों को बिना हेरा फेरी के मिलनी चाहिये। चेयरमैन साहब, आज इन चीजों में ब्लैक भी बहुत है।

लेकिन मजे की बात यह है कि न तो बेचने वालों को पकडा जाता हेऔर न लेनेवालों को पकडा जाता है बल्कि बेकसूरवार लोगों को तंग किया जाता हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक कुम्हार को तो पकड लिया गया परन्तु न बेचने वाले को पकडा गया ओर न लेने वाले का पकडा गया। इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि अफसरान को यह हिदायत होनी चाहिये कि जो ब्लैक में तेल बेचे उसे पकडा जानाचाहिये। यह बडा सीरियस मामला है। सरकार को इसपर जरूर सोचना चाहिये और आव यक इन्तजाम करना चाहियेै वरना लोग हमें माफ नहीं करेंगें। (विघन)

चेयरमैन साहब, एक बहुत ही जरूरी बात मैं ओर कहना चाहता हूं। रावी ब्यास के पानी के बारे में बादल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वह बडा गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। पहले तो चौधरी देवी लाल की बादल साहब के साथ दोस्ती ने बेडा गर्क कर दिया हैं लेकिन अब हमं इस मसले को जल्दी से जल्दी भाान्ति के साथ हल कर लेना चाहिये।मैं नहीं चाहता कि दो भाई पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ें। लेकिन यदि बादल साहब लडाई ही करना चाहते है तो फिर यहीं चण्डीगढ़ में फैसला हो जायेगा।। हरियाणा की जनता एक तरफ होगी ओर पंजाब की जनता दूसरी तरफ होगी।(विघन) बादल साहब कहते है कि खून बहायेंगे। हम भी दूध घी खाने वाले है ओर हाथ मे जेली रखने वाले है। हमने किसी हालत में भी अपने हिस्से को नही छोडना है। (विघन)

चेयरमैन साहब, अफसरों के उपर जो खर्च हो रहाहै उसे भी हमें कम करने की जरूरत है। मैं तो यह कहता हूं कि हरियायणा के दो छोरे ही सारा काम काज चलाने के लिये काफी है। इस खर्च को घटा करके हमें बचे पैसे को डिवैल्पमेंट के कामों में लगाना चाहिये। (विघन) मं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि लोगों की भलाई के काम होने चाहिये। लोग आज हमें बहुत तानेमारते हैं संजय गांधी आज अगर होते तो भाायद ब्लैक को काबू कर लेते ं। फिर भी मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस तरह की छोटी–मोटी ि ाकायतें हरियाणा में सुनने को नहीं मिलनी चाहियें। यहां चौधरी खुर ाीद अहमद जैसे तगड़े वजीर बैठे है जिनको चाहिये कि वे इस बीमारी को खत्म करें और किसान के बेटे की, जो पूलिस में काम करता है,फौज मे दे ा के लिये लड़ता है,जो हमारा अन्नदाता है, देवता है,मदद की जाये।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुमानों की मांग नं0 1, 25 और 17 के बारे में वि ोश रूप से अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी मेरे लायक दोस्त श्री जगजीत सिंह पोहलू ने सदन के सामने जिस पार्टी के वे सदस्य है, जिस पार्टी की यहां सरकार है, उसके राज काएक नग्न चित्र रखते हूये बडे खुले भाब्दों में बताया कि किसान और मजदूर इस सरकार के राज में पिसते जारहे है। सभापति महोदय, मैं यह देख कर बडा हैरान हूं कि मांग नं0 1 के अन्तर्गत 170000 रूपया स्वीकार कराया जा रहा है बल्कि एम0एल0एज0 केयात्रा के भत्ते के

लिये कराया जा रहा है। इसी तरह से सभापति महोदय मांग संख्या 17 के अन्तर्गत पिंजौर गार्डन में जो डीयर पार्क खोला गया है उसके लिये 124110 रू0 मंजूर कराने जा रहे हैं अब आप देखें कि जिस जगह सरमायेदार औरउनके बच्चे हिरण देखने के लिये जाएंगे वहां इतनापैसा खर्च किया जा रहा हैं इसी तरह मांग सं0 25 के अन्तर्गत, मोटर कार की पे ागी विधायकों कोमिल सके और वे कारों मेआ सके इसके लिये 10 लाख रूपया मंजूर करने जा रहे है। इसका औचित्य कितना है और कितना नहीं है, इसको सतारूढ़ पक्ष में बैठे हुये सदस्य स्वयं अनुभव करें। मुझे तो दुख इस बात का है कि 17 अक्तूबर 1979 को , आज से लगभग 9 महीने पहले, हरियाणा के ही प्रसिद्ध औद्योगिक नगर फरीदाबाद के अन्दर वहां के गरीब मजदूरों ने न्यूनतम वेतन देने की मांग की थी। उनका कहना कि कम से कम 8 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें वेतन मिलना चाहिये। (विघन)

श्री सभापतिः स्वामी जी, अच्छा रहेगा यदिआप डिमांडज पर बोलें।

स्वामी अग्निवे ाः सभापति महोदय, इस स्टेज पर मैं हरियाणा के विकास से सम्बन्धित किसी भी बात पर बोल सकता हूं।

श्री सभापतिः बोल तो सकते है लेकिन डिमांडज से सम्बन्धित बातें ही आप कह सकते है।

स्वामी अग्निवे ा: मैं डिमांडज से संबंध रखने वाली बातें ही कह रहा हूं। इन्हे इतना बेचैन नहीं होना चाहिये। आज तो वैसे ही विपक्ष के थोड़े सेसदस्य यहां बैठे है। अगर हमारी कोई बात गलत हो तो रिजैक्ट कर दें वरना चुपके से सुनें।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के मजदूरों को तो गोली से भूना गया मगर दूसरी तरफ पैसा व्यर्थ में खर्च किया जारहा है ंहमारे मंत्री खुर ाीद अहमद जी ओर श्रम मंत्री श्री मेहर सिंह राठी जी ने वहां कहा था कि जो मजदूर सरकार की गोली के ि ाकार बने है उनके गरीब परिवारों को दस–दस हजार रूपया दिया जाएगा लेकिन दुख कि साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन गरीब परिवारों को एक पैसा भी नहीं दिया गया दूसरी तरफ पिंजौर गार्डन में डीयर पार्क खोलने के लिये, एम0एल0एज0 आदि को लोन देने के लिये उनका भत्ता बढ़ाने के लिये सदन से पैसा मांग रहे है। सभापति महोदय, यह बडे दुख की बात है कि एक तरफ तो हम इस तरह के खर्च करें लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की भलाई के लिये हमारे पास कोई योजना न हो। अभी दो दिन पहले एक बिल में सं ाोधन किया गया कि मकान में भी कुछ ऐडी ान एण्ड आल्ट्रे ान करनी हो तो विधायक को 60 हजार रूपये कर्जा दिया जा सकता है।

एक तरफ तो सरकार ने मांग संख्या 25 के अर्न्तगत सारे हरियाणा के गरीब ओर मध्य वर्ग के लोगों के लिये केवल 32 लाख रूपया मकान बनने के लिय रखा है। हरियाणा विधान सभा

के 90 विधायकों के लिये अगर साठ हजा रूपया प्रति विधायक के हिसाब से प्रावधान किया जाये तो 54 लाख रूपया 90 विधायकों के लिये बनता है। सभापति जी आप अन्दाजा लगाइये कि अकेले 90 विधायकों के लिये तो 60 लाख का प्रावधान हो सकता है ओर हरियाणा की गरीब जनता के लिये केवल 32 लाख रूपया रखा गया है ंएक तरफ तो 90 विधायक है ओर दूसरी और सारे हरियाणा की एक करोड़ बीस हजार जनता है।

श्री सभापतिः स्वामी जी आप डिमांड पर ही बोलिये।(विघन)

स्वामी अग्निवे Iः सभापति जी मैं डिमान्ड पर ही बोल रहा हूं। मैं डिमान्ड नम्बर 25 पर बोल रहा हूं। सरकार ने गरीब वर्ग के लिये बहुत थोड़ा पैसा दिया है।

श्री सभापतिः जो आप की डिमांड है, उसी पर बोलें।

स्वामी अग्निवे Iः अनुपूरक मांगों में हरियाणा की भलाई के लिये विकास के लिये कोई भी प्र न उठा सकते है। विपक्ष के लिये तो यही मौका है जब उन्हें सरकार के गुण दोशों का पता लग सकता है।

श्री सभापतिः स्वामी जी आप समय का भी ध्यान रखें। आपका समय केवल दो मिनट बाकी रहता है।

स्वामी अग्निवे ा: सभापति महोदय एक तरफ तो हम कृशि का विकास करना चाहते है और ूदसरी तरफ से आप गलत कानून लादे हुये हैं जो हमारे किसान साथी सरकारी पक्ष में बैठे हूए है उनको मालूम है कि आज जमीन पर सीलिंग लगी हुई है। 18 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी किसान नहीं रख सकता। आज भारत को आजाद हुये 32 साल हो गए, किसी कारखानेदार, खदान के मालिक या फैक्टरी के मालिक पर क्यों नहीं सीलिंग लगायी। जो हमारी सरकार गरीबों के लिये आंसू बहाने कोढोंग करती है, क्या उसके दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि जिस किसान के पास 18 एकड़ जमीन है उसकी कीमत डेढ़ या दो लाख के बीच में होगी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी तरफ पचास–पचास करोड़ की फैक्टरी के मालिक बने हुये है, कोई पूछनेवाला नहीं। ड़िला, टाटा, मुफ्तलाल, किलोस्कलर, करोड़पति है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हरियाणा प्रदे ा में भी बड़े–2 करोडपति बैठे हुये है। उनकी फैकटरियों पर भी कोई सीलिंग नहीं है। उनकी भोअर होल्डिंग के बारे में कोई कानून सरकार के पास नही है जिससे वे उन पर सीलिंग लगा सकें। दूसरी और हमारे साथी कृशि के लिये आंसू बहा रहे है।

सभापति जी हमको यह बताया जा रहा है कि मेवात की डिवैल्पमेंट के लिये पचास लाख रूपया मंजूर किया हैं । मैं तो इस रूपये को ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात समझता हूं। अभी पोहलू साहब भी हाउस में कह रहे थे कि हिसार वालों ने सारे

हरियाणा को लूट कर खा लिया है। उनका इ ाारा चौधरी भजन लाल की तरफ था।

श्री सभापतिः पोहलू साहब ने कोइ ऐसा भाब्द नहीं कहा।

स्वामी अग्निवे ाः वे मौजूद है, उनसे पूछ लीजिये। सभापति जी एक तरफ तो सरकार इतने टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ अनुदान की मागें स्वीकार कराये जा रही हैं सरकार पैसे का बडा दुरूपयोग कर रही है। (ाोर) मैं कह रहा था था फरीदाबाद में गरीब लोगों के परिवारो को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। * * * * * * *

श्री सभापतिः स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे है उसे रिकार्ड न किया जाये।

Whetever he has said about Sanjay Gandhi should not be recorded.

लाला बलवन्त राय तायजः सभापति जी अभी कई बिल और भी है इसलिये बोलने की टाइम लिमिट होनी चाहिये।

श्री सभापतिः स्वामी जी आप डिमान्ड पर ही बोलिये, इररेलेवैन्ट न बोलें। (ाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। सभापति जी अभी जो कुछ स्वामी जी ने कहा, उसको रिकार्ड न

करने की आपने हिदायत की है। विधानसभा के रूलज आफ प्रोसिजर एंड कन्डैक्ट आफ बिजनैस का रूल 116 इस बात को स्पेसिफायी करता हैं कि विधान सभा की कार्यवाही के अन्दर कौन –2 सी चीज रिकार्ड करनी हैं ओर कौन–कौन सी नहीं करनी है। इसरूल मे चार भाब्द सपैसिफिकली लेड–डाउन है। इरनेलेवेन्ट, डैरोरेटरी, अन–पार्लियामेंटरी, डेफीमेंटरी और इनडीसेंट भाब्द इस रूल के मुताबिक हाउस में नहीं बोले जा सकते।

श्री सभापतिः इररैलेवैन्ट भाब्द भी रिकार्ड नहीं होगें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः इन चार भाब्दों में इररैलेवैन्ट भाब्द नहीं है।

Mr. Chairman: I have given my ruling. You please sit down. Nothing more on this point will be recorded.

श्रीमती सुशमा स्वराजः * * * * * *

सहकारिता तथा योजना मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब की तरफ से पहले भी इस प्वांयट के बारे में रूंलिग दी जा चुकी है। इसबारे मे ंपहले से ही प्रैसींडेन्ट है कि इररैलेवैन्ट भाब्द रिकार्ड नहीं किये जायेगें।

स्वामी अग्निवे ाः मैंने जो कुछ कहा है उसमें कोई अनपार्लियामेंटरी भाब्द नहीं है।

श्री सभापतिः जो आदमी सदन में हाजिर न हो उसकी भाान के खिलाफ कोइ भाब्द नहीं कहा जा सकता। अब स्वामी जी वांइड–अप करें। आपका थोड़ा सा टाइम रह गयाहै।

स्वामी अग्निवे ाः सभापति जी आज हरियाणा की जनता दाने–दाने के लिये मोहताज हो रही है ंचौधरी रिजक राम जी ने भी और पोहलू साहब ने भी सदन का ध्यान आकर्शित किया था कि हरियाणा के अन्दर जो इस समय खाद बिक रहा है उसमें बडी धांधलेबाजी चल रही है। 30 और 31 मार्च तक यूरिया ओर किसान खाद की कीमत पर तीस परसैंट सबसिडी दी जाती थी लेकिन वह सबसिडी हटा दी गई हैं बिड़ला और टाटा जैसे स्टाक्सिट ने उंचे भाव पर खाद बेचना भाुरू कर दिया है। जो पहले भाव पर खरीदा था उसकों भी उंचे भाव पर बेचा जा रहा है। मै इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हं कि यह सारा सरकार की गलती से हो रहा है। सरकार क्यों सोयी पडी है? रातों रात में दस–दस और पन्द्रह–पन्द्रह लाख रूपये का मुनाफा कमा रहे है, पता नहीं सरकार क्यों सोयी पड़ी है? इस पाप में पता नहीं क्यों सरकार भी हिस्सेदार बनना चाहती है? उन मुनाफाखोरों को क्यों नहीं मजबूर किया जाता है? जो उनके पास पहले से स्टाक है और कट्टे पर रेट छपा हुआ है, फिर भी उसको बढे हुये भाव पर बेच रहे है। हमारे कृशि मंत्री विदे ा घूम कर आए हैं वे कहते है कि कई नसल के गेहूं के बारे में पता

करके आया हूं। कृशि मंत्री जी के लिये लाखों रूपया खर्च किया गया है। (ाोर)

एक सदस्यः आप भी तो विदे ाों मे जाते है। (ाोर)

स्वामी अग्निवे ाः मुझे तो बाहर के विद्यालयों से पैसा आता है। वही मुझे लेक्चर देने के लिये बुलाते है। मैं उनके खर्चे पर जाता हूं। आज हरियाणा के किसान रो रहे है ओर आप विदे ाों में जा कर हजारों रूपये खर्च कर रहे है।

परिवहन मंत्री(श्री जगननाथ): आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। जब स्वामी जी बाहर जाते है तो लाखों और हजारों रूपया खर्च होता है वह पैसा इनके पास कहां सेआता है? वह पैसा या तो किसी सरमाएदार से आता है या कहीं और किसी के पास से आता है कयोंकि जब स्वामी जी चेयरमैन बनेतब भी इन्होने एक पैसा नहीं लिया लेकिन जब वे जापान और यूरोप जाते है तो पता नहीं कहा से पैसा आता है?

स्वामी अग्निवे ाः सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि मेवात के विकास के लिये 50 लाख रूपया रखा गया है। यह बहुत ही नाकाफी है। वहां पर तो सरकार पचास करोड़ रूपया भी खर्च कर दे तो भी वह इलाका हरियाणा के अन्य इलाकों के बाराबर नहीं आसकता। अगर आप उस इलाके का विकास करना चाहते है और गरीब भाइयों का भला करना चाहते है तो वहां पर जो

एस0डी0एम0 रंगा बिला नाम का बैठा रखा है उसको वहां से हटाया जाये। वह दस–दस रूपया घूस ले रहाहै। (ाोर)

एक सदस्यः सभापति जी वहां के एस0डी0एम0 को रंगा बिला कहा जा रहा है, यह गलत बात है।

स्वामी अग्निवे Iः वहां पर जो एस0डी0एम0 लगा हुआ है उसका नाम रंगा है। सभापति महोदय, वहां पर इस प्रकार के अफसर लगे हुये है जिनके उपर जनता का वि वास नहीं है। वे आफिसर वहां की मां–बहनों की इज्जत नहीं करते, वहां पर भ्रश्टाचार के बाजार को गर्म रखे हुये है। यह जो आप मेवात के लिये 50 लाख या 50 करोड़ रूपया देगें तो उससे भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। आप वहां पर कोई ईमानदार अफसर लगाएं उसके बाद ही आप वहां के विकास के लिये पैसा दीजिये तब जा करके वह पैसा गरीबों के हाथों मे जाएगा वरना वहां पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो सकता। मेवात के गरीब लोगों के विकास की बात इससरकार नेसोची है, मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं , ओर साधुवाद देता हूं कि कुछ तो सरकार ने वहां के क्षेत्र के लिये सोचना भुरू किया हैं(ाोर)

श्री लहरी सिंह मेहराः चेयरमैन साहब, अभी यहां पर स्वामी जी ने एक रंगा आफिसर का नाम लिया है। जब कोई अफसर हाउस के अन्दर नहीं है तो उसका नाम लेनाया उसको

बदनाम करना यह सरासर गलत है। इसलिये या तो वे इस बात का सबूत दें(ाोर)सभापति महादेय इनजातियों में नट, सासी, सिकलीगर, बाजीगर आदि अनेक जातियां आती है। आज उनके उपर कितना लुल्म ढाया जा रहा है? उन टपरीवास के लोगों के विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया गया। उन बेचारों की केवल एक ही मांग है और उनकी मांग यह है कि हमें जो भाडयूल्ड कास्टस में माना गया है इस की बजाये हमें ि ाडयूल्ड ट्राइव्ज में माना जाना चाहिये। अगर उनकी गणना ि ाडयूल्ड ट्राइव्ज में हो जाती है तो सेन्ट्रल सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको अधिक मात्रा में विकास के साधन प्राप्त हो सकते हैं उन लोगों की एक अच्छी मांग है, पता नहीं सरकार यह मांग कयों नही मान रही है? केन्द्र के अन्दर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार हैं दोनों स्थानों पर एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी सेसे ज्यादा मजलूम जो तबका टपरीवास है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। टपरीवास जाति के गरीब लोग न्याय पाने के लिये बार बार अदालत में जाते है, तोउनके पास किराया खर्च करने तक केक लिये पैसे नहीं है, फिंर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेरी इस बात से सकरार कोई राजनैतिक गन्ध लेनेकी कोि ा ा न करें। जब हम करने की स्थिति में थे तो हमने करने की कोि ा ा की। सभापति महोदय आज इनके पास अधिकार है ये उन गरीब भाईयों का विकास कर सकते हैं इसलिये इन्हे उनकी और वि ाश ध्यान देना चाहिये

ताकि उनका भी विकास हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (ाोर) इन्ही भाब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): आदरणीय सभापति महोदय,वैसे तो ये मेरे प्रिय साथी है लेकिन अब कुछ विचारधारा मे ंअन्तर आ गया है। सभापति महोदय, हम जैसे सन्यासियों को गलत बात नहीं करनी चाहिये। बल्कि न्याय संगत बात करनी चाहिये। अब जैसे कि स्वामी अग्निवे ा ने आने ीााशण के दोरान पिंजौर गार्डन में एक डियर पार्क बनए जाने की बात कही, लेकिनमं उनको यह बताना चाहता हूं कि किसानों की जो जमीन सरकार ले ली थी, उसका सरकार ने मुआवजा बढा करके दिया है(ाोर) यह सारा एप्रोप्रिए ान बिल 81 लाख रूपये का है जिसमें 24 लाख रूपया केवल गरीब लोगों के लिये है। उनके लिये मकान बनाने के लिये हैं जहां तक उन्होने विधायकों के बारे में मकान बनए जाने के लिये लोन देने के संबंध में कहा है, इस एप्रोप्रिए ान बिल में इस मद के लिये एक फूटी कोडी भी नहीं है। लेकिन इन्होने परिकल्पना कर दी। (ाोर) जैसा कि इन्होने अपनी स्पीच मे कहा है कि कार के लिये भी विधायकों को लोन दिया जायेगा ओर इसके लिये इन्होने 10 लाख रूपये का जिक किया है तो मैंसदन को बताना चाहता हूं कि यहां सुशमा बहन जो यहां पर बैठी हुईहै इन्होने ही सबसे पहले कार के लोन के लिये एप्लाई किया था (ाोर)

सभापति महोदयख मैं इस बार तायल साहब वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होनें एप्रोप्रिए ान बिल में एक करोड़ 72 लाख रूपये की डिमांड सदन के सामने पासकरवाने के लिये रखी है। इससे हमारे पिछडे हुये वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को राहत पहूंचेगी। मेवात के बारे में भी स्वामी अग्निवे ा जी ने कहा कि 50 लाख रूपये बहुत थोड़े है और इसके साथ ही साथ यह भी कहा है कि यह रा ि ा वहां के विकास के लिये कुछ भी नही है। उनकों यह सोचना चाहिये कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक किसी सरकार ने भी मेवात की डिवैल्पमेंट करने के लिये एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी है। यह पहली सरकार है जिसने मेवात के विकास के लिये 50 लाख रूपये दिये है। वित्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इस 50 लाख रूपये को खर्च करो और मेवात के विकास के लिये जितना भी पैसा चाहिये उतनाही मिलेगा। पैसे की और से परवाह मत करों ताकि वहां के लोग भी हरियाणा के दूसरे लोगों के बराबर हो सकें।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, इन्होने फरीदाबाद का जिक्र कर दिया। इनको पता नही है कि उसमें कितने लोग मारे गये। अगर सरकार उसमें दखलअन्दाजी नहीं करती तो उन लोगों की यहयोजना थी कि सारे फरीदाबाद को तबाह कर दो।(ाोर) हमारे जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे लोकदल के नेता जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता सोहना मे नवम्बर के महीने मे जाकर बैठ गये

ओर कहने लग गये कि हम हरियाणा सरकार को तोड़ना चाहते है।(ाोर)

स्वामी अग्निवे ा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न यह है कि फरीदाबाद गोली कांड के उपरसरकार ने मैजिस्ट्रीयल इन्कवारी के आर्डर कर दिए, करने तो चाहिये थे जुडि ायल इन्कवारी के आर्डर लेकिन अभी तक मैजिस्ट्रेट की इन्कवारी की रिपोर्ट भी यहां सदन के सामने नहीं आई है। इन्होने बिना रिपोर्ट आये हुये ही फरीदाबाद के बारे मे जिक्र कर दिया। यह इन्होने गलत किया है।इस प्रकार के आरोप सदस्यों को लगाना भाोभा नहीं देता। (ाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: सभापति महोदय, कम से कम हम जैसे सन्यासियों के लिये यह कर्तव्य हो जाता है कि हमें न्याय संगत बात करनीचाहिये। मैने ईस्ट इंडिया काटन मिल के मजदूरों से फरीदाबाद में जाकर बात की। सभापति महोदय उनकी कोई इकोनोमिक मांग नहीं है। उन मजदूरों कीजो मांग है वह लीडरि ाप की मांग हैं । वहां पर हरियाणा मजदूर संघ की यह मांग है कि वहां पर हमारी यूयनियन को मान्यता प्रदान की जाये उनकी कोई इकोनोमिक मांग नहीं है, बल्कि एक लीडरि ाप की मांग है।इस लिये सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो मजदूर एक्ट बना हुआ है उसके मुताबिक सरकार चलने की कोि ा ा कर रही है। स्वामी अग्निवे ा जी भावावे ा में आकर कहने लगे कि हमारे मंत्री विदे ाों में जाते है। स्वामी जी से मैं

पूछना चाहूंगा कि जब ये बाहर जाते है तो कंहा से रूपया प्राप्त करते है। इनको कौन रूपया देता है और किस आधार पर देता है?सारी स्थिति स्पश्ट करें। हम जब विदे ा जाते है तो हरियाणा की समृद्धि के लिये बाहर से लाखों रूपये का सामान विक्रय करने का आदे ा लाते है। बाजार ढूंढ कर लाते है। स्वामी अग्निवे ा जी देश के कोई उच्च अधिकारी नहीं वि ाश्ट व्यक्ति नहीं इनकी लोग किस आधार पर आर्थिक सहायता करते है।(हंसी) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हूये)

अध्यक्ष महोदय, हमारे कृशि मंत्री जी विदे ाों मे गये थे, वहां पर उन्होने जो बातें देखी वे सारी सदन के सामने रखी। मैं भी विदे ा मे गया तो मैं वहां से 30 लाख रूपये का आर्डर ले आयां हमारी एग्रो इनडस्ट्रीज कार्पोरे ान जो पहले घाटे में चलती थी, इस साल मैंने बाहर जाकर 25 लाख 15 हजार रूपये का मुनाफा कमा कर दिया। इस लिये बाहर जाना कोई अन्याय नहीं है। अपनी इकोनोमी को डिवैल्प करनें के लिये अपने लाभ को अर्जित करने के लिये नई–नई टैक्नोलोजी हासिल करने के लिये बाहर विदे ाों मे जाना चाहिये ताकि हम आनी ओर अधिक उन्नति कर सकें।

इसके अलावा एक लाख 70 हजार रूपया एम0एल0एज0 के टी0ए0/डी0ए0 वगैरा के लिये दिया जा रहा है। सब लोग डी0ए0 चार्ज करते हैं एक भी ऐसा व्यक्ति नही है जो टी0ए0/डी0ए0 चार्ज न करता हो(ाोर एवं व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न हैं। मेरा व्यवस्था का प्र न यह है कि अभी मेरे माननीय सदस्य ने कुछ बेबूनियाद आरोप मुझ पर लगाये हैं । अगर मेरे साथी चाहें तो मेंउस खर्चे का हिसाब भी दे सकता हूं। जो मैंने थाईलैंड जाने पर लगाया है लेकिन इस तरह से उनको गलत आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मै प्रोसिडिग्जं चैक करवा लूंगा। यदि किसी के उपर कोई गलत आरोप लगाया गया होाग तो मैंउसको एक्सपंज करवा दूंगा। वैसे आपने भी अपनी बात कह ही दी है।

स्वामी अग्निवे ा: उन्होने यह भी कहा है कि सारे एम0एल0एज0 टी0ए0 डी0ए0 लेते है। मैं चैलेन्ज करता हूं यदि मेरे नाम का एक भी पैसा टी0ए0डी0ए0 का दिखा दें तो ..... (ाोर एंव व्यवधान)

Mr. Speaker: Swami Ji, this is very good thing that you are not drawing any T.A. & D.A. (Interruptions) Gentlemen, we have already exceeded the time limit, so the discussion on this Bill will have to be closed now.

स्वामी आदित्यवे ा: सी0ए0 लेते है या नहीं? (ाोर एंव व्यवधान) मैं आपके सामने इन मांगों का जिक कर रहा था। हमारे साथी ने जो इसके बारे मे कहा, मै उससे सहमति न करते हूये यह कहूगा कि एक करोड़ 75 लाख रूपये की जो मांग रखी

गयी है, यह एक न्याय संगत मांग है, इसको पास किया जाये। (ाोर एंव व्यवधान)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिये खडे हुये)

श्री अध्यक्षः इस बिल पर केवल आधा घंटा अलाट हुआ था। अब एक घंटा हो गया है। इसलिये अब मैं मो ान पुट करूंगा।

प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब ग्राम पंचायत(हरियाणा सैकिन्ड अमेंन्डमेंट)बिल 1980

श्री अध्यक्षः अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट)बिल, 1980 को इन्ट्रोडयूस करेगें और उसकों कंसिडर करने के लिये प्रस्ताव करेगें।

विकास मंत्री(राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदयख मैं दि पंजाब गग्रम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट)बिल, प्रस्तुत करता हू्ं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट)बिल, का तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट)बिल,पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न यह है कि –

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट)बिल,पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब–क्लाज(2)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज(2) बिल का पार्ट बने।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Shri Baldev Tayal: Mr. Speaker, Sir, just I want to ask one thing. Can a member who has a low standard of debate speak?

Mr. Speaker: I do not like sarcasm. Sarcasm is the l;owest and lowest form of humour that has ever been invented in the world. I do not appreciate sarcasm.

Shri Baldev Tayal: I totally agree with you, Sir, and I bow my head before you.

क्लाज 1 की सब–क्लाज(2)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज(2) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैंक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेगें कि बिल पास किया जाये।

विकास मंत्री(राव राम नारायण): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

स्वामी अग्निवे ा(पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज सदन के सामने लाया गया है ऐसा ही बिल हमारे दे ा की संसद ने तो पास कर दिया हैं इस बिल के माध्यम से हम उसी आधार पर अपने राज्य में भी इस विधान सभा के माध्यम से पंचायतों के अन्दर जिस प्रकार विधायकों के लिये या सांसदों के लिये व्यवस्था है, वह करने जा रहे हैं। मैंइस बिल का स्वागत करता हूं और मै यह कहना चाहता हूं कि इस बिल का जो नाम है वह अभी तक पूराना चला आ रहा है। हरियाणा बने को लगभग 15 साल होने जा रहे है लेकिन एक्ट का नाम सपंजाब ग्रम पंचायत एक्ट ही चला आ रहा है। यह कोई भाोभा की बात नहीं है, क्लाज 1 के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं । इसके अलावा इस बिल के अन्तर्गत रिजर्वे ान की अवधि 26 जरवरी, 1980 से बढा कर 25 जनवरी 1990 तक की जा रही है। हरियाणा

सरकार को अपनी स्वायतता और स्वतन्त्रता का परिचय देकर इस एक्ट को पूरी तरह से रिवाईज करना चाहिये। पैप्सू ओर पंजाब के समय की बनी हुई बहुत सी बातें इस समय औब्सोलीट हो गयी होगी और रिडन्डैंट हो गयी होगी, इसलिये उनको ठीक करके इस एक्ट को नये सिरे से सरकार को रिवाइज करना चाहिये । मैं वि ोश तोर पर जो हमारे गरीब भाई है, गिरे हुये भाई है, जिनकों हरिजन कहा जाता है उनको पंचायतों के अन्दर जो रिजर्वे ान की सुविधा दी हुई है, उसके बारे कहना चाहूंगा जैसे मैनें कहा कि मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करनेके लिये खड़ा हुआ हूं उसके साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि मुंझे इस बात का दुख है कि अभी तक हरिजनों की द ाा मे कोई सुधार नहीं हुआ है। सन 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय हमने इन गरीब भाइयों के लिये, हरिजन भाईयों के लिये 10 साल तक वि ोश सुविधायें प्रदान की थी। हमारा विचार यह था कि 10 साल तक हम उनको यह वि ोश रियायत देकर उनको अपने बराबर ले आयेगें ताकि हम जो यह उन पर वि ोश कृपादृश्टि कर रहे हे उन पर जाहिर भी न हो। वे दस साल गुजर गये। फिर दस साल बढाये गये,वे दस साल भी गुजर गये ं फिर दस साल बढाये गये, वह भी गुजर गयें और इस तरह से हम 1980 तक खींचकर ले आए। लेकिन मुझे बडे दुख के साथ कहना पडता है कि इस दे ा में एक पार्टी की हुकुमत रही। एक पार्टी भी नहीं कहा जा सकता। एक खानदान कहा जा सकता है और उसमें एक बापऔर एक बेटी की

हुकूमत कही जा सकती है। पिछले तीससाल में हरिजनों को दूसरे वर्गो के बराबर खड़ा करने का नारा दिया जाता रहा है और आरक्षण के नाम पर कुछ सुविधायें दी जाती रही है। लेकिन इतने वर्शो के अन्दर भी समाज के अन्दर छूआछुत और उंचनीच का भाव समाप्त नहीं हुआ है। स्पीकर साहब, इसके लिये दोशी कौनहै? क्या इस प्रकार की सुविधायें सौ साल तकम बराबर देते रहेने के बाद भी हम यह उम्मीद कर सकते है कि समाज का यह पिछडा हुआ वर्ग दूसरे वर्गो के बराबर आ सकेगा। आज दे ा के सामने यह एक बडाभारी सवाल है ंआज दे ा के अन्दर एक वर्ग इस प्रकार की रिजर्वे ान का विरोध कर रहा है। मैंसमझता हूं कि उनका विरोध हरिजनों केखिलाफ नहीं है। हमने यह स्वीकार किया है कि हमारा एक समाजवादी राश्ट्र होगा। स्पीकर साहब,समाजवादी राश्ट्र कहने मात्र से सब को समान अवसर प्राप्त नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, एक तरफ हरियाणा जैसे प्रान्त में 33 परसेन्ट बच्चे ऐसे है जो कि स्कूल्ज का मुहं भी नहीं देख पाते। वे कौन से बच्चें है? स्पीकार साहब, वे हरिजन बच्चे है वे मजदूरों के बच्चे है। वे बच्चे सुबह उठ कर अपनी मां के साथ घास काटने के लिये जंगल मेंचले जाते है। अगर वे घास काटने न जाये तो भााम का`उनको खाने को रोटी नसीब न हो। ये वे गरी ब बच्चे है जो होटलों मे`रात के बारह–बारह बजे तक जूठी त तरियां धोते है। उनके लियै पढने की सुविधा नहीं जुटाई जा रही है। जब तक दे ा में ऐसे बच्चों की ि ाक्षा की और ध्यान

नहीं दिया जायेगा तब तक ये हरिजन बच्चें कैसे उपर उठ सकेगें और इस दे ा में एकसमाजवादी समाज कैसे कायम हो सकेगा?

Mr. Speaker: Swami Ji, I would request you to kindly restrict your comments to the Billunder discussion. (Interruptions).

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, केवल आरक्षण सुविधा देने मात्र से समाज में परिवर्तन नहीं आयेगा। हमें बुनीयादी आव यकताएं उनको देकर उपर उठाना पडेगा। हमें उनको सम्पत्ति का अधिकार देना पड़ेगा(व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, आप इसबात से तो सहमत होगें कि दस–दस साल करते हुये हम उनको केवल आरक्षण की सूविधा देते चले जायें और असली प्र न को छुयें तक नहीं तो उन गरीब हरिजनों का भला हो सकता है? आज गांव में यह हालत है कि हरिजनों की चौपालें अलग है, स्वर्णों की चोपालें अलग है। हरिजनों को अलग कुओं से पानी भरना पडता है। स्वर्णों के कुयें अलग है। गांवों केअन्दर अलग–अलग जातिवाद की बिना पर चीजें बनाई जाती है। हमेंइस उंचनीच और जातिवाद को खत्म करना है। तभी इन हरिजन भाइयों का भला हो सकता है। अगर हरिजनों को स्वर्ण के बराबर लाना है तो अलग चौपालें ओर अलग–2 कुऐं होने वाली बात को खत्म करना पडेगा। सब को समाज के अन्दर समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। ि ाक्षा के अन्दर सब बच्चों को समानाधिकार दिलाने पडेंगे। इस बारे में हमें गम्भीरता सेाचना चाहियेक। ऐसे कितने ही मां के बच्चें है जिनको स्कूल जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं

होता। आज अमीरों के बच्चे, अफसरों के बच्चे बड़े–बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। कान्वेट स्कुंलों में पढते है अमीरों के बच्चे कारों मे बैठकर स्कूलों मे जाते है। दिनमें तीन चार बार कपडे बदलते है हरियाणा के अन्दर भी एक पब्लिक स्कूल है जिसका नाम राई स्पोर्ट स्कूल है। जो जवाब हाउस में दिया गयाउसके अनुसार वहां पर एक बच्चे के उपर साढे छः हजार रूपया सालाना खर्च करना पडता है और दूसरी तरफ गांव में पढने वाले बच्चे पर केवल मात्र अठारह रूपया खर्च किया जाता है। इतनी बडी विशमता बच्चों के बीच में डाली हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह बिल पास नहीं होना चाहिये। यह बल तो पास अव य ही होना चाहिये। कई साथी मुझ से कहते है कि हरिजनों की रिजर्वे ान खत्म होनी चाहिये लेकिन में उनसे पूछनाचाहता हूं कि अगर हरिजन भाइयों की यह आरक्षण की सुविधा बन्द कर दी जाये तो लोकसभा के अन्दर ओर असैम्बलीज के अन्दर हरिजन बिरादरी से संबंघ रखनेवाला एक भी व्यक्ति नही जा सकेगा। स्पीकर साहब, इस दे ा में समाजवादी क्रान्ति ओर जनवादि क्रान्ति की आव यकता थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने एक डमडमा बनाकर रख दिया है और दस साल के बाद फिर दस साल के लिये आरक्षण बढा देते है ओर समझते कि ऐसा करने से ये हरिजन गरीब भाई उपर जायेंगें।

श्री अध्यक्षः थर्ड रीडिग पर इतनी लम्बी स्पीच नहीं होनी चाहिये।

सवामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को इस बारे में सोचकर इस बिल के साथ–साथ कुछ और क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिये। जैसा कि मैने पहले जिक्र किया किय जातिवाद का जो सिलसिला चल रहा है उसके खत्म करना चाहिये।हरियाणा में तो यह हालत है कि एक विधायक तक ने हरिजन तबके से संबंधित लोगों को जाति की संज्ञा देकर गाली के रूप में अपमानित किया और उस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

Mr. Speaker: Swami Ji, please wind up. You are covering wide spectrumm. (Interruptions) You are talking completely irrelevant and out of context. With the provisions of the punjab Gram Panchyat Bill, these things have no relevancy.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मै इर–रेलेवन्ट बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ग्राम पंचायत में हरिजनों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और उसका समय बढाया जा रहा है उसी सिलसिले में, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पंचायत से हरिजनों काजो सम्बन्ध है आप सिर्फ उसी पर बोलें। इतनी लम्बी स्पीच न करें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जिक्र किया है कि एक एम0एल0ए0 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। इन्होने कहा है कि एम0एल0ए0 के हरिजन कहने के उपर

मुकदमा दर्ज किया गया हैं यह केस सब–जुडिस है। इन भाब्दों को कार्यवाही से निकलवा देना चाहिये।

Mr. Speaker: This is no point of order. Swami Ji I have given you enough time. I am sorry, you are going off the subject.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के अन्दर सुविधायें दी जा रही है उसके बारे में बोल रहा हूं। स्पीकर साहब, गांवों में जो ट्रेडी ानल या परम्परागत विचार है उनको छोडा नही जा रहा है। भाहरों में तो इस तरह की विचारधारा कम होती जा रही है। भाहर में बस मैं चढते हुये, रेल में चढते हुये किसी को नहीं पूछा जाता कि कौन सी जाति का हैं लेकिन गांव में तो स्थित यह है कि अगर कोई कह देता है कि वह उंची जाति का है तो उसको तो बस में स्थान मिल जाता है वरना कमीन कहकर,नीच कहकर उसका अपमान किया जाता है। (इस समय सभापतियों की सूसची में से एक सदस्य, चौधरी राम कि ान पदासीन हुये) सभापति जी, आप भी पिछडी जाति से सम्बन्ध रखते है। आपको इन गरीब लोगों के दर्द का पता होना चाहिये। 32 साल की आजादी के बाद भी आपदेखते है कि एक आदमी पे ााब करता है,गन्दगी करता है वह तो चौधरी साहब कहलाता है और एक मेरा भाई जो अपने सिर पर उस गन्दगी को उठाकर ले जाता है गांव को साफ रखता है उस मेरे भाई को कमीन ओर अछूत कहा जाता है।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारेपास गायें है जिन का दूध हम पीते है। बैल हमारे पास है जिन से हम हल जोतते है।(ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः आर्डर प्लीज।

स्वामी अग्निवे Iः चेयरमैंन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि गाय हमे दूध देती है, हमारी माता के समान है और बैलों से हम हल जोत कर अन्नकी प्राप्ति करते है लेकिन अज वे बेकार होजाते है तो कव्वें उनकी अंतडियों को नोच–नोच कर ले जाते है, मांस को खाते है। मरने पर हम उनको बाहर फिंकवा देते है, कितनी गन्दी बात है। उन्ही के चमडे से हमारे पावं मे डालने के लिये जूते बनाये जाते है(ाोर एवं व्यवधान)

आवाजेंः अब यहां पर इतनी हमदर्दी दिखा रहे है। आप कभी पूंडरी में जा कर देखिये वहां पर क्या हाल है, यहां पर ही हमदर्दी दिखा रहे हो। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः स्वामी जी, आपको बोलते हुये 12 मिनट से उपर हो गये है,अब आप समाप्त करिये।

स्वामी अग्निवे Iः चेयरमैंन साहब, यहां पर ये लोग जातिवाद की रट लगायें रहते है इसलिये सरकार को यह बिल लाते समय गर्व नहीं करना चाहिये बल्कि उनको इस बारे में भार्म महसूस करनी चाहिये कि आज 32 साल के बाद भी ये लोग उन गरीब हरिजन भाईयों को उपर उठानें में बिल्कुल असमर्थ रहे

है,लोगों की आर्थिक द ाा वही की वही है। मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि मेरा एक सुझाव भी है कि अगर सरकार वास्तव में जातिवाद का भेदभाव समाप्त करना चाहती है तो हर हरिजनको, हर तपडी वाले को ओर दूसरे गरीबों को भी वही अधिकार मिलने चाहिये जो उंचीजाति के लोगेों को मिले हुये है उनके बच्चों को भी उन्ही स्कूलों में ि ाक्षा दिवाई जानी चाहिये जिन स्कूलों में चीफ मिनिस्टर के और चीफ सैक्रेटरी के बच्चे पढ रहे है। चेयरमैन साहब, समाज में उस समय तक बुनियादी परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक कि हम गरीब आदमी को उपर लाकर बराबरी पर खडा नहीं कर देते। मैंतो यह समझता हूं कि यूं ही आसूं बहाने के लिये इस तरह के बिल यहां पर लाये जा रहे है और यह सिलसिला हर 10 साल के बाद चलता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि सरकारऐसा करके कब तक एक सडी हुई ला ा को इंजैक ान देकर जिन्दा रख सकती है।

आवाजें: चेयरमैन साहब, यह कोई बजट स्पीच पर डिस्क ान थोडा ही हो रही है जोकि स्वामी जी थर्ड रीडिंग पर इतनी देर से बोल रहे है। (ाोर)

श्री सभापति: स्वामी जी, आपको बोलते हुये काफी समय हो गया है, अब आप एक मिनट में ही खत्म कीजिये।

स्वामी अग्निवे ा: चेयरमैन साहब, मैं जल्दी ही समाप्त करने जा रहा हूं । चयेरमैन साहब, मेरी बातों से इन भाइयों को

बडा दुख हो रहा हैं (ाोर) चेयरमैन साहब, अगर सदनके अन्दर ऐसी ऐसी बातें हो रही है तो फिर गावों में कैसे परिवर्तन ला सकते है। (घंटी) चेयरमैन साहब, बस समाप्त करने ही जा रहा हूं मै ंकहना चाहता हूं कि हमें गरीब लोगों की पूरी तरह से रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये तभा समाजवाद आ सकता है। आप देखते है कि आज हरिजनों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार दिया जा रहा है। उनकी बहू–बेटियों को अपनी बहू–बेंटियां नहीं माना जा रहा है (ाोर एवं व्यवधान) तो फिर आप ही बतलाइयें।(ाोर)

आवाजें: इससे क्या रेलवेन्सी है?(ाोर)

श्री सभापति: स्वामी जी, अब आप समाप्त करिये, आपका समय हो गया हैं। (भाोर)

स्वामी अग्निवे ा: अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्ज (अमैंडमैंड) बिल, 1980

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, मैं दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज(अमैंडमैंट) बिल पे ा करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिगंज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव हुआ कि–

दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (महम): चेयरमैन साहब, आज सदन में यह बिल पे ा हुआ हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और अपनी सरकार, खासतौर पर रेवैन्यू मिनिस्टर महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह बिल पिछली दफा मैंने पे ा किया था और सरकार की तरफ से ऑन दि फलौर आफ दि हाउस यह आ वासरन दिया गया था कि सरकार इस बिल को अगले सै ान की तरफ से ऑन दि फलौर आफ दि हाउस यह आ वासन दिया था कि सरकार इस बिल को अगले सै ान में पे ा करेगी। आज वह दिन मैं देख, रहा हूं और मैं इसके लिये राज्सव मन्त्री महोदय का भाुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन साहब, पहले इस बिल के अन्दर सैक ान 18 में एक पाबन्दी थी जिसके तहत अगर किसी सरप्लस लैंड के बंटवारे पर झगड़ा हो जाता था

तो उस आदमी को अपील में जाने के लिए पहले उस जमीन के लैंड के रैवैन्यू का 30 गुना फसी के तौर पर भरना पड़ता था तब वह आदमी अपील कर कर सकता था जो कि एक व्यक्ति के लिए नाममुकिन था। लेकिन अब इस बिल के द्वारा सरकार ने काफी राहत दे दी। इसी तरह से मेरी सरकार से एक और गुजारि ा हैं कि सारे हरियाणा में जो जमीन अभी तक सरप्लस पड़ी हुई हैं और अगर उसका कोई फैसला नहीं हुआ तो उस जमीन को जल्द से जल्द ऐसे लोगों में बांट देना चाहिये जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और जिन को यह भी नहीं पता कि उनका गुजारा कैसे होगा। आज हरियाणा के अन्दर बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जोकि इस तरह के लाभ से वंचित हैं।

चेयरमैन साहब, आप तो जानते हैं कि जमींदार को अपनी जमीन से ज्यादा मोहब्बत होती हैं, उतनी मोहब्बत उसे भाायद अपनी औलाद से भी न होती हेागी। उसकी औलाद अगर संसार से चील जाए तो उसका सदमा वह बरदा ात कर लेता हैं, लेकिन अगर उसके पास से उसकी जमीन चली जाती हैं तो उसको वह मृत्यु से भी ज्यादा समझता हैं।

चेयरमैन साहब, इसके साथ–साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी सरप्लस लैंड के केसिज कोर्टस में बकाया पड़े हैं जिसके कारण से कोर्टस में वर्क लोड भी बहुत ज्यादा हैं। उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए और इस वर्क लोड को कम करने के लिए और जजिज को अप्वांयट किया जाए

अफसरों की नियुक्तियां से जल्दी निपटाये जा सकें और लोगों को समय पर इन्साफ मिल सके और उन्हें किसी प्रकार ककी कोई हैरानी न हो। यह नहीं होना चाहिये कि किसी को उसके अधिकारों से वचिंत होना पड़ें।

चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने राजस्व मंत्री महोदय से हय कहूंगा कि लैंड सीलिग एक्ट, 1953 में लागू हुआ था। उस समय कुछ लोगों की जमीन सरप्लस में आ गयी थी और कईयों की सरप्लस जमीन का अभी तक झगड़ा भी चल रहा हैं वह हिस्सा क्लेम कर रहे हैं और उन्हें यह भी डर हैं कि भाायद उन्हें न्याय न मिले इस चीज को खम्त करने को एक ही तरीका हो सकता हैं कि जो सरप्लस जमीन किसी को दी जाए यह डेट आफ डिक्लेरे ान की बजाये डेड आफ एक्चुअल पोजे ान से मानी जाए, इससे वह लिटिगे ान खत्म हो जाएगी।

श्री सभापतिः प्र न हैं कि

दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज (अमैंडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज वाई क्लाज विचार करेगा।

(12.00 बजे)

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि अनैंक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, सरकार जो यह बिल लाई हैं मैं इसके लिये उसे बधाई देता हूं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिये जो 31 जुलाई आखिरी तारीख रखी हैं यह बहुत ही अच्छा काम किया हैं। किसानों और मजदूरों के बीच यह बजुत बड़ी लड़ाई थी वह बीमारी अब खत्म हो जाएगी लेकिन अभी भी आम जनता का भला नहीं हुआ। आज हमारी कांग्रेस आई की सरकार हैं। हम चाहते हैं कि हर एक को रोजी कमाने का मौका मिले यह तो खु ाी की बात हैं और सरकार को ि ा ा कर भी रही हैं। मैं एक बात औरा चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जितनी भी जायदाद हैं चाहे भाहरों में या देहातों में जैसे बड़े–बड़े कारखाने हैं या सिनेमें हैं, इनकी 18 एकड़ जमीन के बराबर कीतम काट कर बाकी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जाए। मैं इतना कहना चाहता हूं।

श्रीमति सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, खुदा का भाुक्र हैं कि आपकी निगाह इधर भी पड़ गई आपने मुझे बोलने के लिए समय दे दिया। सदन में कुछ ऐसे बिल

भी आते हैं जिनका विरोधी पक्ष के लोगों भी समर्थन करना चाहते हैं क्योंकि हम केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करने में वि वास रखती हूं और ऐसी आलोचना से सरकार का भी जनता का भी भला होता हैं लेकिन उस आलोचना की विरोध मान लेना कि विपक्ष वाले तो विरोध के किलए विरोध करते हैं, यह बात गल्त हैं। यह जो बिल पे ा किया गया हैं। मैं इसका समर्थन करने क लिए खड़ी हुई हूं। मैं ही नहीं पूरा सदन पहले ही इसका समर्थन कर चुका हैं जब बूरा साहब ने प्राइवेट मैम्बर्ज बिल के तौर पर इसे पे ा किया था। पहले बहुत बुरी रिवायत थी कि अगर सरप्लस एरिया के लिए कोई डिस्प्यूट हो जाता था। पहले बहुत बुरी रिवायत थी कि अगर सरप्लस एरिया के लिए कोई डिस्प्यूट हो जाता था और कोई आदमी अपील करना चाहता था तो उसे पहले उस जमीन के लैंड रेवैन्यू का तीस गुना जमा करवाना पड़ता था। इसका अर्थ यह था कि उसे कागजों में अपील करने का अधिकार था लेकिन गरीब आदमी जो इतना पैसा नहीं दे सकता था उससे असली मायनों में यह हक छीन लिया गया था। इसलिये भाई हरस्वरूप बूरा जी यह बिल लेकर, आए थे। वह प्रस्ताव पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पास किया था लेकिन सरकार द्वारा आ वासन देने पर कि ऐसा बिल सरकार खुद लाएगी, इन्होंनें उसे वापिस ले लिया था। सभापति महोदय, जहां मैं बिल का समर्थन करती हूं वहां पे ा करने के लिये खेद भी प्रकट करती हूं। उस समय बाबू मूल चन्द जैन मिनिस्टर होत थे उन्होंनें आ वासन दिया था कि वे जल्दी इस तरह का बिल पे ा करेंगे

लेकिन सभापति महोदय, आज एक वर्श के बाद सरकार की आंख खुल हैं और अब यह बिल लाए हैं। खैर देर भाायद दुरूस्त आयद। अगर सुबह का भूला भााम को घर आ जाए तो भी ठीक हैं। इसलिए इस बिल को लाने के लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, एक बात मैं इस बारें और कहना चाहती हूं कि सरप्लस लैंड के बंटवारे के बारे में बहुत घपलेबाजी हो रही हैं। इसी तरह के एक समले के बारे में कामरेड भांकर लाल ने मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल को लिख कर भेजा हैं। अधिकारियों ने जो उस जमीन में इन्ट्रैस्टिड हैं मिसलें तक गुम कर दी, जिस वजह से केस लटकर रहा हैं। इस बारें में सरकार ने जो नियम बनाये हैं वे लोगों को न्याय दिलाने के लिये बनाए हैं लेकिन वे नियम केवल मात्र कागजों में ही नियम बन कर रह गये हैं। इतनी बआर सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार के कानों तक जूं क्यों नही रेंगी। मुख्यमंत्री सदन में बैठै हैं वे राजस्व मंत्री द्वारा जवाब देने के बाद बताएं कि सरप्लस लैंड का बंटवारा सरकारी अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं। भांकर लाल जी ने अपनी ि ाकायत में मिसालों के नम्बर तक भी दिए हुए हैं जो गुम कर दी गई हैं लेकिन फिर भी उस सरप्लस लैंड का बंटवारा नहीं हो रहा। अगर इस में और देर की गई तो समय निकल जाएगा। लोग उन जमीनों को बेनामी नाम पर रखना चाहते हैं। यह सिर्फ कागजी दिखाया हैं कि हरियाणा सरकार ने इतनी सरप्लस लैंड बंटवारा कर दिया लेकिन वास्तव में उसमें कितने लोगों को फायदा होगा

इसका सरकार को खुद पता चल जाएगा। मैं सरकार से अन्त में फिर कहती हूं कि जहां यह तीस गुना वाली गन्दी रिवायत को खत्म कर रहे हैं, जहां लोगों की किस्मत काम कर रही हैं वहां जिस सरप्लस लैंड का बंटवारा नहीं हो रहा हैं उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दें और मुख्य मंत्री जी के पास जो ि ाकायतें आई हुई हैं उनके बारें में भी वे स्पश्टीकरण दें कि क्या कार्यवाही की हैं, उन ि ाकायतों को दूर करने का क्या रास्ता अपनाया हैं।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, सुशमा जी वैस तो इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई थी लेकिन इनकी आदत कुछ न कुछ कहने की हैं इसलिये इन्होंनें अपनी बात कह दी। मार्च, 1977 में पहले यह बिल प्राइवेट मैम्बर्ज बिल की हैसियत सै बूरा साहब ने पे ा किया था। उस समय जैन साहब वित्त मंत्री थे और उस सयम के रैवेन्यू मिनिस्टर ने यह अ योर किया था कि इसी प्रकार का बिल वे लाएंगे। सभापति महोदय, भारत सरकार की इंस्ट्रकं ाज हैं कि लैंड रिफार्म के बारे में कोई भी स्टेट अगर कोई अमैंडमैंट करना चाहती हैं तो पहले वह उसकी परमि ान लें। उस परमि ान के लिये हमने भारत सरकार को लिखा था। पहले तो भारत सरकार ने जवाब दे दिया कि इसमें अमैंडमैंट करने की कोई जरूरत नहीं हैं परन्तु बाद में जब परमि ान मिल गई उसके बाद तुरन्त ही हम इस सै ान में यह बिल ले आए हैं। सुशमा जी ने कहा कुछ अफसरों की कनाईवैंस से सिरसा जिलें में मिसर्ले गुम कर दी। उसक बारे में

मै हाउस को अ योर करना चाहता हूं कि कोई भी अफसर चाहे वह कितना भी बढ़ा हैं अगर दोशी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल, 1980

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): सभापति महोदय, मैं दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि–

मैं दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

मैं दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाएं।

चौधरी रिजक राम (राई): सभापति महोदय, जो बिल हमारे सिचाई मंत्री जी ने पे ा किया हैं उसके लिए मै उनको धन्यवाद करता हूं। जहां तक इस बिल का उद्दे य है इसके जरिये हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट की धारा 28 और 29 के जितने भी केस होंगे उनके फैसले के लिए एच0 सी0 एस0 के अफसर नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा इस बिल में प्रावधान हैं। सभापति महोदय, अब तक जितने भी नहरी पानी से सम्बंधित चालान वगैरह होते हैं उनका फैसला नहर के अफसरान ही करते हैं। चौधरी भजन लाल जी वगैरह होते हैं उनका फैसला नहर के अफसरान ही करते हैं। चौधरी भजन लाल जी ने बतौर मुख्य मंत्री 29 जून, 1979 को भापथ ली थी और उसके बाद 8 जुलाई, 1979 को इन्होंनें हिसार में पब्लिक मीटिंग को सम्बोधित करते हुए एलान किया था कि जितने भी नहरी पानी से संम्बधित केसिज हैं उनका नहर के अफसरान ही फैसला करते हैं। अब उनसे से अख्यित्यारात लेकर हम एक गैर जानिबदार ऐंजेसी कायम करेंगे जिसको इन केसिज के फैसले करने का अख्तियार लेकर हम एक गैर–जानिबदार ऐजेंसी कायम करेंगे जिसको इन केसिज के फैसले करने का अख्तियार लेकर हम एक गैर–जानिबदार ऐजेंसी कायम करेंगे जिसको इन के फैसले करने का अख्तियार होगा। सभापति महोदय, आपको यह भी मालूम होगा कि जो तावान अखित्यारात

नहरी अफसरान को दिए हुए हैं उन अखित्यारात के तहत तावान लगाते समय वे बहुत गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं जैसे कई नहरों की पटरियों कमजोर हैं और नहर टूट गई हैं तो नहर के अफसरान कभी भी उन केसिज को ब्रीच केस नहीं बताते हैं बल्कि हरेक केस को वह कट्स का नाम देकर जाजायज तौर पर किसानों के जिम्मे लगाते हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं इस एक्ट के अन्दर यहां तक लिखा हुआ हैं कि नहर का पनी एक जगह से टूट कर कितने ही खेतों मैं होकर एक या दो मील तक चला जाए और चाहे बंजर जमीन हो और चाहे खाली जमीन हो उन सब के ऊपर तावान लगता चला जाएगा। सभापति महोदय, पहले तावान कुछ कम था लेकिन अब 20 गुणा तक लगता हैं और एक एकड़ जमीन पर आबियान 34—35 रूपया लगता हैं। नहर के अफसरान को अख्तियारात हैं कि वे एक एकड़ जमीन पर 800—800 और 900—900 रूपये तावान के लगा सकते हैं और उसमी तहकीकात भी ठीक तौर पर नहीं करते। एक पटवारी लिस्ट बना देता हैं कि इन लोगों के खेतों में पानी गया हैं और जिलेदार उसकी तहीकीकात कर लेता हैं कि यह पनी नाजायज लगाया गया हैं। एस0 डी0 एम0 उसकी बिना भाहादत लिए उसको कट करार, देकर रिर्पोट कर देता हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बंजंर जमीन में से होकर यदि पानी किसी किसान के खेतों में चला गया तो पंचायत पर और उस किसान दोनों पर तावान लगया हुआ हैं इस तरह से 50—50 हजार और एक एक लाख रूपए तक तावान लगाया हुआ हैं किसानों पर लगे हुए हैं और

उनके केसिज चल रहे हैं उन केसिज में किसानों को इन्साफ नहीं मिल सका हैं। सभापति महोदय, ज्यूरिसप्रडैंस का माना हुआ नियम हैं कि न सिर्फ इन्साफ किया जाए बल्कि यह भी जाहिर हो कि इन्साफ किया जा रहा हैं। नहर के अफसरान चाहे इन्साफ भी क्यों न करते हो लेकिन लोगों की इस बारें में तसल्ली नहीं होती कि वे नि पक्ष फैसला देते हैं। इसलिए यह जो विधेयक पे ा किया गया हैं इसके लिए मिनिस्टर साहब बधाई के पात्र हैं। उन्होंनें फैसला किया हैं कि एच0 सी0 एस0 अफसरान को इसका अख्तियार देंगे। इससे मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी राहत किसानों को मिलेगी। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने 8 जुलाई, 1979 को जो ऐलान किया था कि गैर–जानिबदार एजैंसी इन केसिज के फैसले के लिए कायम की जाएगी और इसके साथ ही यह भी ऐलान किया था कि हम यह बिल जल्दी ला रहे हैं। यह कोई किसी एक इंडिविजुअल की अपनी राय का सवाल नहीं हैं यह तो मुख्यमंत्री जी ने लोगों के सामने ऐलान किया हैं और आ वासन दिया हैं कि यह काम हम करेंगे। सभापति महोदय, मैं सिचाई मंत्री जी से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वह बिल भी जरूर लांए और उसमें यह तरमीम करें कि 20 गुण तावान की बजाय 5 या 6 गुणा तावान लगाया जाएं। अब यह कहा जाएगा कि यह कम करने से कट करने की कोि ा ा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हैवी पैनल्टी से लोग नहर में कट करने की कोि ा ा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हैवी पैनल्टी से जुर्म या कत्ल न हों ऐसी

बात आज नहीं हैं। आज सारे दे ा में जुर्म भी हों रहे हैं और कत्ल भी हो रहें हैं और उनको फांसी तक की सजा दी जाती हैं लेकिन जुर्म या कत्ल फिर भी होते हैं। आज सारे वि व में इस बात पर विचार चल रहा हैं कि जो सजा दी जाए वह ज्यादा न हो। इसलिए मैं सिचाई मंत्री जी से उम्मीद करता हूं वे खुद भी किसान हैं, किसानों से संबध रखते हैं उनकी तकलीफों को दूर करेंगे और उस बिल में जैसा मैंने अर्ज किया हैं, तरमीम करके लाएंगे। इन भाब्दों के साथ मैं फिर एक बार उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री बलदेव तायल (हांसी): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि पिछला कानून जो था उसे अन्दर सजा देने वाल भी वही व्यक्ति को कानून के सामने पे ा करने वाला था। सभापति महोदय, बेहतर तो यह होता कि अपने अफसरों की अजाय इस किस्म के जुर्म को जूडि ायरी को सौंप दिया जाता। लेकिन हो सकता हैं कि सरकार ने किन्हीं कारणव ा यह सोचा हो कि यह जुडि ायरी को सौंपना आव यक नहीं हैं। यदि यह जूडि ायरी के पास जाता तो मुझे पूरा वि वास हैं हरि किसान को पूर्णरूपेन इन्साफ मिलता परन्तु सरकार किसानों के ऊपर से अपना अकुं ा नहीं हटाना चाहती हैं। सभापति महोदय, अफसर फिर भी सरकारी लगाए जाएंगे जोकि कई बार सरकार की हिदायतों के मुताबिक काम करने को मजबूर होंगे। सरकार से मेरी दरख्वास्त हैं कि यह एक ऐसा कदम हैं जिससे कि लोगों को

इन्साफ और राहत मिलेगी लेकिन इससे फालतू राहत अगर यह जुडि ियरी को भेज दिया जाए तो उससे मिलेगी। सभापति महोदय, ने मैं आपका भी और अध्यक्ष महोदय, का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ने जो कम्पलीमैंट्स पे किए उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। मुझे बताया गया कि वे बीमार हैं और मुझे बड़ा दु:ख हैं कि मैंने उनको बीमारी की हालत में आवे ा में आने का अवसर दिया। वह काम कर रहे हैं और उसके अन्दर मैंने उनको आवे ा में आने का कोई अवसर दिया। बेहतर है कि वे थोड़ा सा आराम फर्मा लें ताकि सेहत ठीक हो जाए। धन्यवाद।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): सभापति महोदय, जैसा कि चौधरी रिजक राम और श्री बेलदेव तायल ने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस बिल में सं ाोधन करके विवादास्पद पानी का निर्णय करने का अधिकार किसी और अथौरिटी को दिया जा रहा हैं। उद्दे य और कारणों का विवरण पढ़ने में तो ऐसा लगता हैं कि यह बात बहुत अच्छी हैं और सरकार इस पर अमल करने जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह हैं कि पानी के ऊपर टैक्स लगाया हुआ हैं और वह भी नहरी पानी के ऊपर। नहरी नहर का पानी जिससे किसान खेत में साल पैदा करता हैं, सारे दे ा को खाना खिलता हैं, उसके ऊपर इतना ऊंचा आबियाना क्यों लगाया जाता हैं? सभापति महोदय, हरियाणा जैसे कृशि प्रधान दे ा में

पानी पर आबियाना लगाना एक निन्दनीय विशय हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है ंकि अगर पानी टूट कर किसी के खेत में चला जाए या पानी काट कर अपने खेत मे डाल लेता हैं तो इसको इतना संगीन अपराध क्यों माना जाता हैं, यह कौन सी चारी हैं? (व्यवधान)

श्री सभापतिः स्वामी जी जरा समय का ध्यान रखें।

स्वामी अग्निवे ाः कोई बोलने वाला तो हैं नहीं, भाुक्र करो मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, वैसे तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार को पानी जैसी चीज पर इतना ऊंचा आबियाना नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से पानी पर आयिाना लगया हैं उसी तरह से कल हवा पर भी आबियाना लगायैंगे और कहेंगे कि ज्यादा संस क्यों ले लिया, इसके लिए तावान भुगतना पड़ेगा। इसी तरह सड़क पर ज्यादा चलने पर भी इसी तरह का तावान लगाया जाएगा, यह अच्छी चीज नहीं हैं, दूसरी बात जो चौधरी रिजक राम जी ने कही हैं, बिल्कुल ठीक हैं कि हमारे मुख्य मंत्री ने कम से कम 20 बार आम जलसों में जनता के सामने वायदे किये हैं कि तावान को 30 गुना से घटा कर कम कर देंगे लेकिन उनकी घोशणा खूब कर देते हैं पर उस पर अमल नहीं होता। (व्यवधान)

श्री सभापतिः घोशणा की आदत वाले भाब्द एक्सपंज कर दिए जाए। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: एक मुख्य मंत्री जो पत्थर रखता चला जाए लेकिन उसके ऊपर अमल न हो, इससे बूरी बात और क्या होगी? (व्यवधान) इन्होंनें इस प्रकार की घोशणा की हैं, अगर नहीं की तो मुण्े इस प्वायंट पर बोलने का हक नहीं हैं लेकिन सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य ने बात सदन में रखी हैं कि 20 बार घोशणा की। सभापति महोदय, अच्छा होता इस बिल के साथ–साथ तावान की रा ि ा कम करके दूसरा बिल भी हाउस में ले आते तो उनकी नेकनीयत का सबूत मिल जाता और इसी सै ान में पास हो जाता। अगले सै ान में बिल लाने तक ये मुख्य मंत्री रहें या न रहे, यह तो भगवान जानता हैं। इन भाब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (ौधरी मेहर सिह राठी): सभापति महोदय, स्वामी जी ने तावान को कम करने की बात की हैं, इस बात का मैं समर्थन करता हूं और बिल के माध्यम से जो रूल्ज बनेंगे उनके मुताबिक हम तावान कम करेंगे।

दूसरी बात यह कही कि कैनाल वाटर के डिस्प्यूट के केसिज अफसरान को न सौंपर कर जुडी ारी को सौंपे जाने चाहिए। मैं हाउस को इन्फार्म करना चाहता हूं कि अफसरान की पावर जुडी ारी की तरह होती हैं और इस मामले में सरकार कभी दखलअन्दाजी नहीं करती।

तीसरी बात स्वामी जी ने कहा कहीं कि किसानों से पानी का टैक्स लिया जाता हैं यह नहीं लिया जाना चाहिए। मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं कि किसान को पानी देने के लिए सरकार करोंड़ों रूपये का नुक्सान करती हैं और जो पानी दिया जातात हैं वह रियायती दरों पर देते हैं, यह बात मैं स्वामी जी की नालिज में लाना चाहता हूं । अग मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न हैं कि–

दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब हाउस बिल पर क्लार्ज बाई क्लाज विचार करेंगा।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): मैं प्रस्ताव करता हूं– कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल, 1980

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, मैं दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल इन्ट्रोड्यूस करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

स्वामी अग्निवे ा(पुडरी): सभापति महोदय, इस विधेयक के द्वारा सरकार ने हरियाणा में एक नया ि ाक्षा निदे ालय स्वीकार किया हैं, यह बड़ी अच्छी बात हैं। पहले एक ही निदे ाक

होता था, प्राइमरी से लेकर कालेज तक एक ही निदे ाक होता था लेकिन अब एक स्वतन्त्र निदे ाालय की स्थापना की गई हैं, इसके लिए मैं सरकार को बधई देता हूं। लेकिन यह काम जल्दी पूरा होना चाहिए। इसके इलावा प्रईमरी विभाग का अलग ही निदे ाालय होना चाहिए ताकि ि ाक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। ि ाक्षा बोर्ड ने अपने जिम्मे यह काम लिया हैं कि पहली क्लास से लेकर 11 वी क्लास तक ि ाक्षा बोर्ड किताबें छापेगा लेकिन इसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं। सभापति महोदय, हरियाणा में प्राईमरी ि ाक्षा की वयवस्था अच्छी नहीं हैं, बच्चों को बैठने के लिए अपयुक्त स्थान नहीं हैं। एक–एक कमरे में पांच–पांच कक्षाएं चल रही है, बच्चो को बैठने के लिए टाट नही, खेलने के लिए मदान नहीं और अगर मैदान हो तो खेलने का सामान नही। जब प्रईमरी ि ाक्षा की ऐसी स्थिति हो तो प्राईमरी ि ाक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए एक अलग निदे ाालय की स्थपना करने की अव यकता हैं क्योंकि देहातों में अधिकतर प्राईमरी स्कूल हैं और उनमें निर्धन बच्चे पढते हैं। इन गावों के बच्चों की ि ाक्षा के लिए एक अलग निदे ाालय होना चाहिए। (व्यवधान)

एक सदस्यः जब आप ि ाक्षा मंत्री थे तो उस वक्त यह काम क्यों नहीं किया?

स्वामी अग्निवे ाः मैं तीन महीने ही ि ाक्षा मंत्री रहा हूं लेकिन मैंने तीन महीनों में निदे ाालय बनाने का प्रयास किया था। सभापति महोदय, ि ाक्षा निदे ाालय में एक बहुत बड़ी कमी

यह हैं कि निदे ाक के पद पर केवल कोई एजुके ानिस्ट यानी ि ाक्षा भाास्त्री ही बैठे जो एजुके ान की कठिानईयों को भलीभाति समझ सकें। यह नहीं होना चाहिए कि इस पद पर कोई आई0 ए0 एस0 या एच0 सी0 एस0 का आफिसर इसका निदे ाक नियुक्त कर दिया जाए। अगर आप किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी को ि ाक्षा निदे ाक बना देते हैं और उसी को बोर्ड का पदेन सदस्य बना देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमति भाान्ति राठी एजुके ान वर्ग की लीटर रही हैं, वे उन मु कलात को जानती हैं जो ि ाक्षा के क्षेत्र में आती हैं कई आर इन्होंनें यह सवाल उठाया और हम सबने भी यही मांग की कि ि ाक्षा निदे ाक के पद पर कोई ऐजुके ानिस्ट ही होना चाहिए ि ाक्षा भाास्त्री यदि ि ाक्षा बोर्ड का सदस्य होगा तो ि ाक्षा के मामले में वह कुछयोगदान कर सकता हैं। जिसको ि ाक्षा की ए0, बी0, सी0 डी का पता नहीं हैं, उनमे से कोई तो कृशि विभाग से सम्बन्ध रखता हैं, कोई उ़द्योग विभाग से सम्बन्धित होता हैं और कोई किसी अन्य विभाग से सम्बन्ध होता हैं। उनका योगदान कोई वि ोश नहीं होता। इसलिए ि ाक्षा निदे ाक भी यदि ि ाक्षा के क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाला नहीं होंगा तो ि ाक्षा बोर्ड एक दिखावा बन कर रह जाएगा। अतः सभापति माहदेय में सुझाव दूंगा कि जहां यह कहा जा रहा हें कि ि ाक्षा निदे ाक ऐजुके ान बोर्ड का पदेन सदस्य होगा वहीा सरकार, बे ाक आज वह इस सम्बन्ध में कोई बिल नहीं लाई हैं, यह घोशण करें, भाति राठी जो इस विभाग को देख रही हैं और को यह आ वासन दें कि

ि ाक्षा निदे ाक के पद पर पर प्र ाासनिक अधिकारी नहीं बल्कि ि ाक्षा भाास्त्री ही नियुक्त किया जाएगा। धन्यवाद

श्री सभापतिः प्र न हैं कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल ऐजुके ान (अमैडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैंक्टिंग फार्मूलाः

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैब्टिग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं– कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैडमैट) बिल, 1980

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, मैं दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटि अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव हुआ कि–

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटि अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्रीमति सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, जो कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंड) बिल, 1980, अभी सदन में पे ा किया गया, उसके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, इस ऐक्ट की धारा (1) में सं ाोधन किया जा रहा हैं। इस बिल के पास होने से पहले केवल दस मील के इलाके में वह कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपनी भाक्तियों को प्रयोग कर सकती थी और इसके साथ राज्य सरकार को यह अधिकार था कि यदि वह इस कार्य करना चाहे या कुछ कालेजिज निकाल निकाल कर दूसरे किसी वि विद्यालय के साथ जोड़ना चाहे तो यह सरकार सदन से मांग रही हैं। सभापति महोदय, यह बिल अपनी एक पृश्ठभूमि लेकर आया हैं। अभी कुछ

दिन पहले तीन चार समाचार पत्रों में हम3ने यह पढ़ा था कि अम्बाला जिले के वे कालेजिज जो कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटि के साथ ऐफिलिएटिड थे अब उनको पंजाब वि व–वि वविद्यालय के साथ जोड दिया गया हैं। पंजाब वि विद्यालय के ऊपर अब हमारा कोई दावा नहीं रह गया था सबसे पहले अम्बाला जिले के कालेजिज इसमे से निकाले गए थे। उस वि विद्यालय पर अपना दावा रखने के लिए यह सराहनीय कदम हैं। इसलिए सभापति महोदय मैं इस बिल का समर्थन करती हूं लेकिन चिन्ता का विशय हैं कि कहीं इस दावें को बीच में ही न छोड़ दिया जाए क्योंकि पंजाब की तरफ से कुछ और ही बात आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंखी ने कहा हैं कि पंजाब वि वद्यिालय के कालेजजि का इसके साथ ऐफिलिएट करने का एक बहुत गलत कदम हैं। उन्होंनें यह भी हैं कि वे केन्द्रीय सरकार को कहेंगे कि वह इसे अपने कंन्ट्रोल में ले और अपना वि वविद्यालय बना लें तथा जो कालेजिज अब इसके साथ जोड़ गए हैं उन्हें इसमें से निकाल दिया जाए। अगर कहीं ऐसा हो गया तो बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार यानि अन्याय संगत बात होगी क्योंकि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग हैं। आज तो इन्होंनें उन कालेजिज को पंजाब यूनिवर्सिटि के साथ जोड़ दिया लेकिन कल को यदि पंजाब सरकार की मांग पर केन्द्रीय सरकार के साथ जोड़ दिया गया था लेकिन कल को यदि पंजाब सरकार की मांग पर पजांब सरकार की बात मान लेती थी और बिल्कुल मझधार में उन विद्यालयों को पंजाब वि विद्यालय को पंजाब वि विद्यालय से निकाल दिया जाता हैं तथा हरियाणा

सरकार उस फैसले के फलस्वरूप उन्हें फिर से कुरूक्षेत्र वि विद्यालय के साथ जोड़े तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन बच्चों की क्या हालत होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जहां यह अधिकार सरकार को मिले कि वह कालजिज को कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय के साथ ऐफिलिएट कर सके वहां सरकार इस बात का किए जा रहे हैं। और आगे किए जांएगे उनको हर हालात में पंजाब वि ववविद्यालय के साथ जोड़ा हुआ ही रखा जाएगा कि इन वि विद्यालय के साथ ऐफिलिएट किए गए हैं, किए जा रहे हैं और आगे किए जांएगे उनको हर हालत में पजाब वि विद्यालय के साथ जोड़ा हुआ ही रखा जाएगा और हम अपने दावे को नहीं छोड़गे। पंजाब सरकार अगर यह मांग करती हैं कि इन विद्यालयों को पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाल लिया जाए, तो उसे हम ठुकराएंगे और ये कालेजिज बराबर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहेंगे। अगर मंत्री जो सदन को यह आ वासन देते हैं तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौधरी रिजक राम (राई): सभापति महोदय, यह बिल आज पे ा हुआ हैं लेकिन इस बिल के पे ा होने से पहले अखबारों में खबर छपी थी कि हरियाणा सरकार ने अम्बाला जिले के कालेजिज को कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकाल कर पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐफिलिएट करने का फैसला किया हैं। उधर से यह भी अखबारों में खबर छपी कि पंजाब के मुख्य मंत्री न`एलान किया हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भाामिल नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, हमारी कैबिनैट ने तो यह फैसला कर दिया कि अम्बाला जिले के कालेजिज कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नही रहेंगे बल्कि पंजाब यूनिवसिटी में भाामिल नहीं होने देंगे। सभापति महोदय, हमारी कैबिनेट ने तो यह फैसला कर दिया कि अम्बाला जिले के कालजिज कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं रहेंगे बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटील के साथ उनकोू एफिलिएट करने में रजामन्द हो। आज एक सं ाय की हालत पैदा हो चुकी हैं। इधर तो कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इन कालेजिज को निकालने का फैसला सरकार ने कर दिया हैं उधर डर यह हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये भाामिल होते भी हैं या नहीं। इस बिल में किसी यूनिवर्सिटी से कालेजिज को निकालने का अख्तियार तो सरकार ले रही हैं लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में यह कालेजिज को ऐफिलिएट करा सकेगी या नहीं करा सकेगी यह देखने की बात हैं। अगर नहीं करा सकी और बाद में इसे इनको फिर विदड्रा करने का फैसला लेना पड़ा तो क्या हालत होगी इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं क्योंकि कैबिनेट का फैसला पहले हो गया और बिल बाद में आया हैं हालांकि कैबिनेट का यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। खैर इन्होनें सरकार इस बात पर अड़ी हुई हैं कि हम इन कालेजिज को भाामिल नही होने देंगे। सभापति जी, इस फैसले के साथ चण्डीगढ़ के भविश्य का प्र न भी पैदा हो गया हैं। इधर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा हैं कि चण्डीगढ़ हरियाणा का हैं और पंजाब का हिस्सा हैं। यह सवाल पैदा हो चुका हैं कि चण्डीगढ़ हरियाणा का हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चन्डीगढ़

के भविश्य का प्र न भी पैदा हो गया हैं। इधर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि चण्डीगढ़ से हरियाणा का ताल्लुक नहीं हैं। यह पंजाब का हिस्सा हैं। यह सवाल पैदा हो चुका हैं। मुख्य मंत्री जी को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए। सरकार को पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि पंजाब युनिवर्सिटी के साथ जिन कालेजिज को एफिलेट करना चाहते हैं उनसे पहले इस बारें में बातचीत कर लेनी चाहिए कि वे इनको ले लेगे या नहीं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो भवनिंग बौडी हैं उसमें ज्यादा रिप्रजन्टे ान पंजाब के लोगों की हैं। अब उनकी मर्जी पर होगा। कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें या न करे। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इन कालेजों को जोड कर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी हैं कि उनके भविश्य का पता नहीं हैं क्योंकि अभी बहिन सुशमा जी ने भी कहा था कि ये अभी तक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ रहे थे इसलिए इस यूनिवर्सिटी का सलेबस अलग हैं।

दूसरे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ ऐरियर भी देना हैं क्योंकि हमने उसको कई सालों से पैसा नहीं दिया। सरकार ने जो फैसला किया हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा भी हिस्सा रहे इसलिए यह फैसला किया गया हैं। मेरी तो यही अर्ज हैं कि इन बातों के बारे में जरूर गौर कर लिया जाये कि जिन अम्बाला जिले के कालेजों का एफिलिए ान किया जा रहा हैं उनका

भविश्य धूमिल न हो। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल की ताइद करता हूं।

स्वामी अग्निवे ा (पुण्डरी): सभापति महोदय अम्बाला जिले के कालेजों की पंजाब वि वविद्यालयों के साथ जोड़ जा रहा हैं, इससे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारा हिस्सा हैं, अधिकार हैं वह पक्का हो जायेगा। ऐसा करने से पंजाब वि विद्यालयों में ही हमारा हिस्सा नहीं हैं बल्कि चण्डीगढ़ पर भी हमारा अधिकार पक्का हो जायेगा। इस बिल को जो सरकार ला रही हैं वह आज की कांग्रेस आई की सरकार ला रही हैं। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि पहले इन कालेजों को इस यूनिवर्सिटी से क्यों निकाल दिया गया था। जब यहां पर चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय अम्बाला और करनाल जिले के कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ नहीं थे। इन दोनों जिलों को पंजाब वि वविद्यालय के साथ जोड़ा हुआ था। एक बार पंजाब वि वविद्यालय में कोई समारोह हो रहा था उसमें चौधरी बंसी लाल जी भी गये हुए थे। उन्हें वहां पर जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, उन्होंनें गुस्सें में आकर आर्ड कर दिया कि जितने भी पंजाब वि वविद्यालय के साथ हरियाणा के कालेज ऐफिलिएटिड हैं उनको वहां से निकाल दिया जाये। (भाोर) मैं ठीक कर रहा हूं उन्होंने ऐसा किया था। अगर वे उस टाईम पर ऐसी गलती न करते तो आज यह बिल लोन की आव यकता नही थी। उन्होंनें जो ा में आकर इस प्रकार की कार्यवाही की।

डेरी तथा विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्माः इस बिल में कालेजों को निकालने तथा डालने का सवाल नहीं हैं। भाोर

स्वामी अग्निवे ाः दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इन कालेजों को एफिलिएट कर देंगे तो हरियाणा सरकार का काफी एरियर का पेसा देना पड़ेगा क्योंकि लाखों रूपया पंजाब वि वविद्यालय का बकाया पड़ा हैं। इसलिए एक तरफ इतना पैसा देने का सवाल हैं और दूसरी तरफ हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए स्कूलों में टाट भी नहीं हैं। गरीबों के लिए कोई साधन नहीं और लाखों रूपया हरियाणा को पंजाब वि व विद्यालय के साथ अव य एफिलिएट किया जोय लेकिन अनाप ानाप तीरके से उनको पैसा दिया जायें, ज्यादा पैसा हमारे हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों को दिया जाये।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): चेयरमैन साहब, यह जो बिल लाये हैं इसमें कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय की लिमिट बढ़ाने का अधिकार तो सरकार का हैं लेकिन हरियाणा सरकार को यह अधिकार नहीं कि इसकी लिमिट करम कर सके। सरकार तो एरिया कम करने का अधिकार लेनील? जा रही हैं। जहां अम्बाला जिले के कालेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करने जा रहे हैं, वह इसमें कोई भाक नहीं हैं। स्वामी जी तो डबल बात करते हैं। चण्डीगढ़ का भी इसके साथ क्लेम जोड़ना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी का भी इसके साथ क्लेम जोड़ना चाहते हैं। चण्डीगढ़

पर तो हमारा क्लेम हैं। जब तक चण्डीगढ़ का फैसला नही आ जाता तब तक तो हमारा बराबर क्लेम रहेगा। बहिन सुश्मा जी ने जो बात कही हैं कि अगर पंजाब को चण्डीगढ़ चला गया तो जिन कालेजों का पंजाब वि विद्यालयों के साथ अटैच करने जा रही है उनका भविश्य क्या होगा? हम अगर अम्बाला जिले के कालिजों को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिट करेगे तो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से फैसला करके ही करेंगे। उनको पहले वहां से नहीं निकालेंगे। एक बात और भी हैं। पंजाब यूनिवसिर्टी तो भारत सराकर की हैं न कि पंजाब सरकार की हैं इसलिए इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्र न हैं कि–

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब सदन बिल पर क्लाज आई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिग फार्मूला

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए

कि बिल पास किया जाए

श्री सभापतिः प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापतिः अब कल प्रातः 9–00 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता हैं

(12.50बजे)

(तत्प चातृ सदन कल भानिवार, दिनांक 12–7–80 को प्रातः 9–00 बजे तक लिए स्थागित हुआ)